

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 985 OF 2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 986 OF 2019

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 528 OF 2023

IN THE MATTER OF:

**IN RE : WATER POLLUTION BY TANNERIES AT JAJMAU KANPUR
UTTAR PRADESH**

WITH

**IN RE : WATER POLLUTION AT RANIA KANPUR DEHAT & RAKHI
MANDI KANPUR NAGAR UTTAR PRADESH**

WITH

**NEWS REPORT PUBLISHED IN DAINIK JAGRAN DATED 14.08.2023
"HIGHLIGHTS A GROWING CONCERN REGARDING INDUSTRIAL
POLLUTION IN THE GODHRAULI VILLAGE"**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Affidavit on behalf of Respondent U.P. Pollution Control Board.	1-15
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Details of action taken against tannery units.	16-18
3.	<u>ANNEXURE-2</u> Details of EC imposed against the tannery units.	19-44
4.	<u>ANNEXURE-3</u> Details of imposition of Environmental Compensation.	45-200

5.	<u>ANNEXURE-4</u> Financial year 2024-2025 has been provided with the letter dated 13.01.2025.	201-203
6.	<u>ANNEXURE-5</u> True copy of letter dated 13.01.2025.	204-205
7.	<u>ANNEXURE-6</u> Contamination as per ERM's DPR table-3.3 serial no.4c.	206
8.	<u>ANNEXURE-7</u> True copy of letter dated 26.05.2022.	207-208
9.	<u>ANNEXURE-8</u> True copy of MoU's.	209-214
10.	<u>ANNEXURE-9</u> True copy of letter dated 09.12.2022.	215
11.	<u>ANNEXURE-10</u> True copy of the work orders dated 23.08.2024.	216-217
12.	<u>ANNEXURE-11</u> True copy of the letters dated 12.12.2024.	218-219
13.	<u>ANNEXURE-12</u> True copy of letter dated 16.10.2024.	220
14.	<u>ANNEXURE-13</u> True copy of Draft Action Plan.	221-234

NEW DELHI
DATED: 21.01.2025



PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 985/2019

With

Original Application No. 986/2019

With

Original Application No. 528/2023



IN THE MATTER OF:

In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh

With

In Re: Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh

With

News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village"



AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 27.11.2024 PASSED BY THIS HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Sanjeev Kumar Singh, aged about 38 years, S/o Shri Lal Sahab Singh presently posted as Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB) do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That vide its order dated 27.11.2024 this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) has passed the following direction:
...11. Member Secretaries, CPCB and UPPCB are also directed to file their response affidavit disclosing the action taken by them on pollution control from tanneries, compliance of STPs and management of chromium including sludge by each of the tannery and other sites identified by Learned Amicus Curiae in her interim report at least one week before the next date of hearing.....
3. That in compliance to the order dated 27.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal the response affidavit of UPPCB is as under:

A. ACTION TAKEN BY UPPCB FOR CONTROL OF POLLUTION FROM TANNERIES OF JAJMAU, KANPUR NAGAR



That it is submitted that in Kanpur Nagar there are 400 tanneries which are established in approximately 7.431 sq. kilometre area within 50 meter to 1.0 Km distance from river Ganga. The smallest tannery is of 100 sq. meter area and largest is of 34500 sq. meter area. The tanneries are established since 1946 at Jajmau and are in unorganized sector. Presently 271 tannery units are operational, 75 units are closed, 41 units have been dismantled and 13 units have been converted into dry process.

- ii. That the maximum number of tanneries are small scale industries and have only installed primary effluent treatment plant and after primary treatment the effluent from PETP is being treated through a 20 MLD Common Effluent Treatment Plant at Jajmau, Kanpur.
- iii. That it is also submitted that in order to control industrial pollution from tannery sector in Jajmau area, State Government has taken following actions:
 - a. UPPCB issued guidelines vide letter dated 08.06.2019 to assess the infrastructure of tannery units according to their permitted capacity in order to restrict tannery units to reduce the chances of overflow from pumping stations as well as excess effluent going into CETP.
 - b. UPPCB has sealed 176 drums & 63 Paddles in 90 tannery units associated with Pumping Station-03 (Wajidpur), 39 drums & 09 Paddles in 15 tannery units associated with Pumping Station-04 (Budhiyaghat), 70 drums & 47 Paddles in 28 tannery units associated with Pumping Station-01 (Chhabilepurwa), 156 drums & 66 Paddles in 116 tannery units associated with Pumping Station-02 (Shitala Bazar) to control the excess flow generation.
 - c. UPPCB restricted the overall processing capacity of each tannery unit to 50% of its consented capacity in order to reduce the chances of excess flow going to pumping stations and subsequently to CETP inlet.
 - d. Surprise checks are conducted by UPPCB and Inter Departmental Teams as well as Third Party Institutions like IIT, HBTU, PCCRI, NEERI from time to time and actions are taken against the defaulter units as well as



operator of CETP. The details of action taken against tannery units is enclosed herewith and marked as **Annexure No. – 1.**

- e. UPPCB has imposed Environmental Compensation against the defaulting units from time to time. Total Environmental Compensation of Rs 3,74,37,000/- has been imposed against 339 defaulter tannery units, out of which Environmental Compensation of Rs. 1,45,51,500/- has been deposited by 293 tannery units of Jajmau Kanpur. Recovery Certificate for recovery of Environmental Compensation has also been issued by District Administration against 26 units. The details of EC imposed against the tannery units and its realization is enclosed herewith and marked as **Annexure No. – 2.**

B. COMPLIANCE STATUS OF STP's OF KANPUR NAGAR AND ACTION TAKEN



- i. That the Sewage Treatment Plants in Kanpur Nagar are being monitored by UPPCB through its Regional Office regularly and discharge is monitored on weekly basis. That the inspections are carried out at different timings to ensure surprise inspections for effective monitoring. That the STP's maintain logbooks for maintenance of records related to hourly discharges at outlet through the flow meter. That the records and logbooks are examined by inspecting officials during inspections to monitor the state of functioning of the STP and also to check the discharges during night time. Status of sewage treatment plants in Kanpur Nagar in tabulated format is mentioned below:

Status of Sewage Treatment Plants in Kanpur Nagar Uttar Pradesh (as on January 07, 2025) • Commissioned STPs – 08 with designed capacity – 482 MLD							
Sr No	Status	Compliance Status w.r.t MoEF&CC norms dated 13.10.2017					
1	Complying	2					
2	Non-complying	4					
Operational and Compliance status of Sewage Treatment Plants in Kanpur Nagar, U.P.							
S. No	Name of STPs	Ganga Front Town	Treatment Technology	Designed Capacity (MLD)	Date of Inspection	Operational /Non-Operational Status	Compliance Status w.r.t MoEF&CC norms dated 13.10.2017
1	130 MLD Jajmau STP Kanpur	Kanpur	ASP	130	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
2	Jajmau (43 MLD) Kanpur	Kanpur	ASP	43	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
3	Jajmau (36 MLD Old CETP) Kanpur	Kanpur	UASB	27	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
4	Bingawan (210 MLD) STP	Kanpur	UASB	210	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
5	Sajari (42 MLD) STP, Kanpur	Kanpur	ASP	42	07.01.2025	Operational	Complying BOD, TSS & FC
6	Pankha (30 KLD) STP	Kanpur	SBR	30	07.01.2025	Operational	Complying BOD, TSS & FC

- ii. That further the U.P. Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation against the operator of CETP and STPs at Jajmau Kanpur i.e. Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural/Urban), Kanpur. M/s Kanpur River Management Pvt. Ltd., Kanpur from time to time on the basis of different defaults. The details of action taken is summarized in tabular form below:-



Sl. No.	Reason of Action Taken	Total Environmental Compensation in Rs.	Action Taken
1	Due to not achieving the standards at the outlet of 130 MLD STP and 43 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	4,00,000	Imposition of environmental compensation against Ganga Pollution Control Unit GPCU, UPJN (Rural) Kanpur.

Sl. No.	Reason of Action Taken	Total Environmental Compensation in Rs.	Action Taken
2	Due to not achieving the standards at the outlet of 43 MLD STP, 130 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	5,18,57,500	Imposition of environmental compensation against Kanpur River Management Pvt Ltd.
3	Due to not achieving the standards at the outlet of 5 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	56,85,500	Imposition of environmental compensation against Ganga Pollution Control Unit GPCU, UPJN (Urban) Kanpur.
4	Due to not achieving the standards at the outlet of 210 MLD STP at BINGAWN, Kanpur.	3,66,25,000	Imposition of environmental compensation against Kanpur River Management Pvt Ltd.
	Total	9,45,68,000/-	



The details of imposition of Environmental Compensation is being collectively enclosed herewith and marked as **Annexure No. -3.**

**MANAGEMENT OF CHROMIUM SLUDGE
GENERATED BY TANNERIES OF JAJMAU,
KANPUR NAGAR**

i. Common Chrome Recovery Plant (70 KLD), Jajmau

That the 70 KLD Common Chrome Recovery Plant (CCRP) is operated by Kanpur Nagar Nigam. The exhausted chrome tanned liquor collected from various tanneries is transported through tankers to the CCRP and regenerated

chrome is to be sold to tanneries for reuse. Municipal Commissioner, Nagar Nigam Kanpur vide has letter No. D/2919A/M.C/A.A.(P)/24-25 dated 13.01.2025 has informed that the amount of sludge coming out from Common Chrome Recovery Plant (CCRP) is very less, hence the sludge is sent to TSDF (Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF)) along with the sludge coming out from CETP for safe disposal. The quantity of 1893.39 MT sludge coming out from CETP has been sent to TSDF for safe disposal. Details of Chrome liquor received from tanneries and regenerated during the financial year 2024-25 has been provided with the letter dated 13.01.2025 which is enclosed herewith and marked as **Annexure No. – 4.**

ii. **900 KLD Common Chrome Recovery Unit**

That 900 KLD (3x300KLD) Common Chrome Recovery unit (CCRU) is in operational stage and is operated by Jajmau Tannery Effluent Treatment Association (JTETA). CCRU involves various unit operations such as Collection tank, Reactor, Chemical dosing system and Chrome regeneration tank and Supernatant collection tank. As per the information provided by JTETA, the physical progress of the project upto January, 2025 is as given below:

a) CCRU is 99.75% completed in terms of Civil – 100%, Mechanical – 100%, Electrical – 100%, Instrumentation – 100%, testing and pre-commissioning – 95% and cumulative Progress – 99.75%.

b) 2 (1 existing + 1 new) Tankers with GPS are made available at the site already for collection and transportation of the spend chrome by the contractor.



c) M/s V.A. Tech Wabag Limited, Chennai (20 MLD Contractor) letter vide number – 10P152-VATW-SITE-219 dated 07.01.25 informed that new 900 KLD CCRU is ready for commissioning.

d) Request letter from JTETA to Executive Engineer, Kanpur Nagar Nigam (Zone-2), Kanpur Nagar has been sent on 13.01.2025 for providing a written confirmation for diverting the spent chrome liquor of tanneries to the new CCRU unit established at 20 MLD CETP so that they can inform all their tannery members that newly constructed CCRU will be in operation instead of the Kanpur Nagar Nigam's CCRP. Copy of letter dated 13.01.2025 is enclosed herewith and marked as **Annexure No. -5**.

D. MANAGEMENT OF CHROMIUM INCLUDING SLUDGE ON THE SITES IDENTIFIED BY LEARNED AMICUS CURIAE IN HER INTERIM REPORT



VILLAGE KHANCHANDPUR, RANIA, KANPUR DEHAT

- i) That in Village- Shivnathpurwa, Rania, Kanpur Dehat and nearby area the of chromium containing waste was illegally dumped by the BCS manufacturing industries established in district Kanpur Dehat and its adjoining districts.
- ii) That it is to mention here that CPCB has allotted the work of detailed survey and preparation of DPR and providing technical consulting services for the remediation of

chromium contaminated area in district Kanpur Dehat to M/s ERM, New Delhi in year 2018. M/s ERM in their DPR mentioned about the Primary Study Area (PSA) including the village- Garhampur, Shivnathpurwa, Waste storage area and Village- Khanchandrapur.

- iii) That the remedial activities are planned in such a way that most contaminated areas are target first and then slowly progressing toward the areas of lesser impact/contamination. Chromium deposits on the left side of the excavated site as mentioned by Amicus Curiae in their report are the area of having lesser impact/contamination as per ERM's DPR table- 3.3, serial no. 4c. The said table is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-6**.
- iv) That further, regarding the deposits of chromium still lying in the area it is to submit that the heap of soil identified is actually the soil which was used to cover the HDPE liner lying over the Chromium waste before start of excavation by the UPSIDA. During excavation soil was removed and stored near the boundary of waste dump site. Residue of chromium contaminated waste resembles in yellow color (oxidized form of chromium when it comes in a contact of water/moisture) is the waste that is mixed with the soil which have to remediated on in-situ manner on the site as per the DPR prepared by the CPCB. On the excavated site of chromium, the rainwater has filled up and a water body has been created but the said water body is on the chromium dump, it is to submit that the area filled with rain water is not actually chromium dump but a low lying area



was created after excavation of waste and further scrapping of soil mixed with chromium. Chromium contamination in the nearby area, which is already identified by the committee and sub-committee and the work order is already issued to both the operators of Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) namely M/s U.P. Waste Management Project & M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat for scientifically disposal on pro-rata basis.

Mechanism for Chromium monitoring in Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat

- i. That the Chief Secretary, Govt. of UP has directed to constitute a sub-committee comprising Additional District Magistrate (Admin.) Kanpur Dehat, Executive Officer, Public Work Department, Kanpur Dehat and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Dehat for monitoring at site/sites during execution of project work for lifting and safe disposal of dumped Chromium Waste through existing TSDFs in Kanpur Dehat and submit its physical and financial progress report to Committee from time to time. Accordingly a Sub-committee has been constituted vide letter no. 193/81-7-2022-44(writ)/ 2016 T.C-2 dated 26-05-2022 to monitor all the restoration/ remediation work periodically and sent report to the Committee. Copy of the letter dated 26.05.2022 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.- 7.**



sk

- ii. That the Safe and Scientific disposal of chromium containing hazardous waste illegally dumped at Gram Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat is allotted to 02 TSDF's namely M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd and M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat. Copy of MoU's are enclosed herewith and marked as **Annexure No.-8**.
- iii. That for continuous monitoring of safe and scientific disposal of Chromium containing hazardous waste, Chairman, Sub-committee i.e. ADM(E), Kanpur Dehat, deputed staff of UP Pollution Control Board, Kanpur Dehat and Public Works Department, Kanpur Dehat vide order dated 09.12.2022. Copy of the order dated 09.12.2022 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-9**.
- iv. That in order to ensure qualitative disposal and monitoring of chromium containing hazardous waste, U.P. Pollution Control Board has developed a web portal www.hwms.co.in. Waste lifting from GPS enabled vehicles, weight and stabilization details are regularly uploaded on web portal.



That the disposal of Chromium waste was started on 15.12.2022 and completed by 17.05.2023 for 85006 MT. Committee reviewed on site visit dated 19.05.2023 and decided in committee meeting 06.06.2023 that approximately 10000 MT Chromium Waste is lying on site. On 17.06.2023 work order was issued to both TSDF Operators namely (M/s U.P. Waste Management Project &

M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat) for disposal of remaining quantity on pro-rata basis and completed by 10.11.2023. Total quantity disposed after stabilization by M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat is 5500 MT and M/s U.P. Waste Management Project, Kumbhi, Kanpur Dehat is 89506 MT. Therefore, Total quantity disposed till now is 95006 MT.

- vi. That the remaining approx 6000 MT chromium waste still dumped near tyre washing area & in front of M/s Natraj Industries, Umran is also allotted through work order issued on 23.08.2024 to both TSDF operators namely M/s U.P. Waste Management Project & M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat for scientifically disposal on pro-rata basis. Copy of the work orders dated 23.08.2024 are being collectively enclosed herewith and marked as **Annexure No. 10.**

b) **VILLAGE GUDHRAULI, DISTRICT-FATEHPUR**

I. **Chromium deposit outside M/s MLMP Food Pvt. Ltd. near Village-Gudhrauli**

That M/s Madhuchandra Technochem Pvt Ltd. Gudhrauli is a dump yard site near MLMP Food Pvt. Ltd., Village-Gudhrauli and during the inspection of the site by the officers of Regional Office, UPPCB, Prayagraj on 09.01.2025, a greenish yellow hazardous waste sludge was found dumped at the site and according to the representative of the unit this was dumped long time back. 09 samples of



these dumped sludge and 4 hand pump water samples of the affected area were collected.

II. Chromium deposited on land near the water body, and chromium plume lying on the Baniya Kheda Road.

That inspection of the above area was carried out jointly by the officials of IITR and UPPCB on 11.01.2025 and total of 64 samples were collected from the areas given below :

1. Abhaypur, Gudhrali -38 sample
2. Aung Ambuj Nagar Road, Abhaypur - 16 sample
3. Chhiwali, Rashulpur - 06 sample
4. Nurshing College, Chhiwali Abhaypur -04 samples

Analysis Reports of the samples collected by IITR is awaited.

In the Baniya Kheda road, Gudhrauli, District Fatehpur, Ash disposal was found and Regional Officer, UPPCB, Prayagraj vide its letter No. G 01224/R-220/2024 dated 12.12.2024 had directed M/s R.P. Industries and vide letter No. G 01229/S-627/2024 dated 12.12.2024 has directed M/s Shayamanand Industries, Village-Gudhrauli, Bindki not to dispose the Ash along the road and ensure its safe and scientific disposal. Copy of the letters dated 12.12.2024 are collectively enclosed herewith and marked as **Annexure No.-11.**



86

III. Evaluation of Dumped Chromium Waste Quantity and its concentration at Gudhrauli, District- Fatehpur.

That for evaluation of dumped chromium waste and its concentration at Gudhrauli, UPPCB has engaged CSIR-IITR Lucknow vide letter No. H18707/C-2/NGT-654/24 dated 16.10.2024 for a total project cost of Rs 47,20,000/- with a timeline of completing the project in 5 months. CSIR-IITR Lucknow has carried out the survey of Village Gudhrauli and other affected areas on 11.01.2025 and collected 64 soil samples from different locations. Detailed survey and analysis report of CSIR-IITR is awaited. Copy of the letter dated 16.10.2024 is enclosed herewith and marked as **Annexure No.-12.**

4. Suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano-Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium



That this Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 23.09.2022 passed in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 has directed UPPCB and CPCB to immediately find out suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano-Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium as being done at other

places for removal of arsenic/fluoride. This shall be complied once disposal of Chromium waste completed from dump site. Draft Action Plan for the restoration of environment in terms of chromium contaminated soil & ground water has been prepared. Copy of the Draft Action Plan is enclosed herewith and marked as **Annexure No. 13**.

5. That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

sk
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lko on this 21 day of January, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



Seen and verified
before me
sk
21/1/25
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Lucknow, U.P.
Registration No. 10043/1987

sk
DEPONENT

I know & identify the deponent/Executant
who has signed/put his T.I. before me
sk
S. Iqbal Advocate
Reg No 5043/1987
Adv

Sr.No	District	Category Of Industry	Name Of Industry	Address	Status Notice	Notice Issued Date	Show Cause/Closure due to Third Parti/ Board Inspection
1	Kanpur Nagar	Tanneries	PAHALWAN TANNERY (UNIT-2)	GAJJUPURWA , JAJMAU, KANPUR NAGAR	Closure Order	18.09.2024	Third-Party Inspection
2	Kanpur Nagar	Tanneries	Shams Leather Finishers	150 feet road jajmau, Kanpur Nagar	Closure Order	26.12.2024	Third-Party Inspection
3	Kanpur Nagar	Tanneries	Yakoob Tanners	112-F, Chhabeleypurwa, Jajmau, Kanpur	SCN	15-04-2024	Third-Party Inspection
4	Kanpur Nagar	Tanneries	EVEREST TANNING INDUSTRIES UNIT-II	184-B(1), BUDHIYAGHAT, JAJAMU, KANPUR NAGAR	SCN	15-04-2024	Third-Party Inspection
5	Kanpur Nagar	Tanneries	Sharik Tanners	786, Motinagar, Jajmau	SCN	18-04-2024	Third-Party Inspection
6	Kanpur Nagar	Tanneries	RIZWAN TANNING IND.	104/90 A(22) , SANJAY NAGAR , JAJMAU	SCN	01-05-2024	Third-Party Inspection
7	Kanpur Nagar	Tanneries	Crown Tanners	192/184, Ramsarai, Jajmau	SCN	02-05-2024	Third-Party Inspection
8	Kanpur Nagar	Tanneries	Jajmau Leather finishers (Bihari Tannery)	16 B-1, Gajjupurya, jajmau, Kanpur nagar.	SCN	21-02-2024	Board Inspection
9	Kanpur Nagar	Tanneries	RIDER TANNING IND. , 242 , GAJJUPURWA , JAJMAU	242 , GAJJUPURWA , JAJMAU, KANPUR NAGAR	SCN	09-05-2024	Third-Party Inspection
10	Kanpur Nagar	Tanneries	Nisha Traders	25/20, Gajjupurwa, Jajmau Kanpur Nagar	SCN	22-05-2024	Third-Party Inspection
11	Kanpur Nagar	Tanneries	EAGLE TANNERY, 425/390, MAKKU SAID KA BHATTA , JAJMAU	425/390, MAKKU SAID KA BHATTA , JAJMAU	SCN	22-05-2024	Third-Party Inspection
12	Kanpur Nagar	Tanneries	N.S. Tanners (Unit-2)	83A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur Nagar	SCN	22-05-2024	Third-Party Inspection
13	Kanpur Nagar	Tanneries	Farjam Tanners	Purani Chungi, Jajmau	SCN	29-05-2024	Third-Party Inspection
14	Kanpur Nagar	Tanneries	BLUE STAR FINISERS , 996-999 , WAJIDPUR , JAJMAU	996-999, Wajidpur, Jajmau, kanpur nagar	SCN	22-05-2024	Third-Party Inspection
15	Kanpur Nagar	Tanneries	PAHALWAN TANNERY (UNIT-2)	GAJJUPURWA , JAJMAU, KANPUR NAGAR	SCN	21-05-2024	Third-Party Inspection
16	Kanpur Nagar	Tanneries	Naaz Leather Finishers	Jajmau	SCN	29-05-2024	Third-Party Inspection
17	Kanpur Nagar	Tanneries	Super Style Tanners Pvt. Ltd.	79 Jajmau	SCN	21-05-2024	Third-Party Inspection
18	Kanpur Nagar	Tanneries	Sunrise Tannery	150 Feet Road, Jajmau	SCN	27-05-2024	Third-Party Inspection
19	Kanpur Nagar	Tanneries	Ajmal Tanners	42/2 Budhiyaghat, Jajmau	SCN	22-05-2024	Third-Party Inspection
20	Kanpur Nagar	Tanneries	Ahirwar Ki Tannery (New Jawed Tannery)	480/379, Gajjupurwa	SCN	29-07-2024	Third-Party Inspection

Sr.No	District	Category Of Industry	Name Of Industry	Address	Status Notice	Notice Issued Date	Show Cause/Closure due to Third Parti/ Board Inspection
21	Kanpur Nagar	Tanneries	New Globe Exim	104/90 - A -7 (2,3) 150 Ft. Road, Jajmau	SCN	29-07-2024	Third-Party Inspection
22	Kanpur Nagar	Tanneries	Merit Leather Finishers	414, Sanjay Nagar, Jajmau	SCN	29-07-2024	Third-Party Inspection
23	Kanpur Nagar	Tanneries	R.B. Traders	156/149, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur Nagar	SCN	31-07-2024	Third-Party Inspection
24	Kanpur Nagar	Tanneries	Wasim Leather	332/308, Bhalla Estate, Jajmau	SCN	01-08-2024	Third-Party Inspection
25	Kanpur Nagar	Tanneries	Hayat Tannery	367-A, Motinagar, Gajjupurwa, Jajmau	SCN	02-08-2024	Third-Party Inspection
26	Kanpur Nagar	Tanneries	Everest Tannery (Upholstery Division)	Plot no. 175/158 B-4, Jajmau	SCN	06-08-2024	Board Inspection
27	Kanpur Nagar	Tanneries	Ahteshyam Leather & leather Product (old name-Naseer ki tannery)	Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur Nagar	SCN	06-08-2024	Board Inspection
28	Kanpur Nagar	Tanneries	Euro Leather (Ishrat ki Tannery)	176/169 Laltupurwa, Jajmau	SCN	21-08-2024	Third-Party Inspection
29	Kanpur Nagar	Tanneries	Nurullah Tanners	815 Wajidpur, Jajmau	SCN	22-08-2024	Board Inspection
30	Kanpur Nagar	Tanneries	Bharat Tanning Industries	150 Feet Road, Jajmau	SCN	22-08-2024	Board Inspection
31	Kanpur Nagar	Tanneries	Supreme Tanning Industries	104/90 (A-7) 150 Feet Road, Jajmau	SCN	22-08-2024	Board Inspection
32	Kanpur Nagar	Tanneries	Shahid Tannery	53, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur Nagar	SCN	09-05-2024	Board Inspection
33	Kanpur Nagar	Tanneries	Shams Leather Finishers	150 feet road jajmau, Kanpur Nagar	SCN	02-09-2024	Third-Party Inspection
34	Kanpur Nagar	Tanneries	Awadh Tannery	33/307, Bhalla Estate, Jajmau	SCN	12-09-2024	Third-Party Inspection
35	Kanpur Nagar	Tanneries	Sunil Enterprises	330/306 B(8), Bhalla Estate, Jajmau	SCN	26-09-2024	Third-Party Inspection
36	Kanpur Nagar	Tanneries	Star Tanning Industries	19-B, Laltupurwa, Wazidpur, Jajmau, Kanpur Nagar	SCN	26-09-2024	Third-Party Inspection
37	Kanpur Nagar	Tanneries	Mahboob Sons	104/90 A, 21, 150 Feet Road, Jajmau	SCN	05-07-2024	Board Inspection
38	Kanpur Nagar	Tanneries	Sahara Tanning Industries	104, C-1, Wajidpur Jajmau	SCN	14-10-2024	Third-Party Inspection
39	Kanpur Nagar	Tanneries	ALLIED LEATHER & LEATHER PRODUCT 51 A 150 FT. ROAD , JAJMAU	51 A 150 FT. ROAD , JAJMAU, KANPUR NAGAR	SCN	07-06-2024	Third-Party Inspection
40	Kanpur Nagar	Tanneries	Penja Tanning Industries	104/90 (23 A) Sanjay Nagar Jajmau	SCN	07-06-2024	Third-Party Inspection

Sr.No	District	Category Of Industry	Name Of Industry	Address	Status Notice	Notice Issued Date	Show Cause/Closure due to Third Parti/ Board Inspection
41	Kanpur Nagar	Tanneries	Tajwar Hussain ki Tannery	101/87-B (1-A), Wajidpur Jajmau	SCN	11-11-2024	Board Inspection
42	Kanpur Nagar	Tanneries	Humera Tanning Industries Pvt. Ltd.	1-D 17-A-1, 150 Feet Road, Jajmau	SCN	22-11-2024	Board Inspection
43	Kanpur Nagar	Tanneries	Jaj Tannery	150 feet road, Jajmau, Kanpur Nagar	SCN	19-12-2024	Third-Party Inspection

Details of Environmental Compensation imposed by UPPCB

S.No.	District	Name of Industry	Amount of EC imposed	Date of EC Imposed	Amount of EC recovered	Remaining Amount of EC	Date of RC issued by DM
1	Kanpur Nagar	M/s Abdullah Tannery Pvt Ltd, 16 B, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	28-Nov-17	50,000.00	0.00	
2	Kanpur Nagar	M/s Unique International 980 D, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	50,000.00	28-Nov-17	50,000.00	0.00	
3	Kanpur Nagar	M/s New Universal, 419/387, Jajmau, Kanpur	50,000.00	18-Jan-18	50,000.00	0.00	
4	Kanpur Nagar	M/s Firoz Ki Tannery, 36/37, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	4-Jun-18	25,000.00	0.00	
5	Kanpur Nagar	M/s Junaid Tanning Ind, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	4-Jun-18	50,000.00	0.00	
6	Kanpur Nagar	M/s Azan International, 93/78, 79A, Eidgah Road Jajmau Kanpur	25,000.00	20-Jun-18		25,000.00	1-Dec-23
7	Kanpur Nagar	M/s AK Finishers, 44/37 A(5), Ramrai Sarai, Jajmau, Kanpur	25,000.00	6-Aug-18	25,000.00	0.00	
8	Kanpur Nagar	M/s Akmal Sons (Saira Ind), 35A, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	6-Aug-18	25,000.00	0.00	
9	Kanpur Nagar	M/s Gulzar Oversease 73/74 Hindustan Tannery Compound, Jajmau, Kanpur	25,000.00	6-Aug-18	25,000.00	0.00	
10	Kanpur Nagar	M/s Navratan Ind. 532-533, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	6-Aug-18	50,000.00	0.00	
11	Kanpur Nagar	M/s Paramount Tanning Ind, 19 Ram Rai Sarai, Jajmau, Kanpur	25,000.00	6-Aug-18	25,000.00	0.00	
12	Kanpur Nagar	M/s Rana Tannery (Apollo Tanners) 102A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	50,000.00	6-Aug-18	50,000.00	0.00	
13	Kanpur Nagar	M/s Sahara Tanning Ind. 104, C-1, Wajidpur Jajmau, Kanpur	25,000.00	6-Aug-18	25,000.00	0.00	

14	Kanpur Nagar	M/s Sarfaraz Tanners, 382/353, Bangalighat, Jajmau, Kanpur	25,000.00	6-Aug-18	25,000.00	0.00
15	Kanpur Nagar	M/s Shalimar Leather Ind. 74A, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	6-Aug-18	50,000.00	0.00
16	Kanpur Nagar	M/s Tanners India, 38A, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	6-Aug-18	50,000.00	0.00
17	Kanpur Nagar	M/s Tej Industries, 35A, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	6-Aug-18	25,000.00	0.00
18	Kanpur Nagar	M/s Ahmad Leather Ind. 102/88A-9 Wajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00
19	Kanpur Nagar	M/s Akhtar Tanners, 112A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00
20	Kanpur Nagar	M/s Amin Enterprises, 71/60A, Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00
21	Kanpur Nagar	M/s Central Leather Finishers 112A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00
22	Kanpur Nagar	M/s Crown Tanning Ind, 62A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00
23	Kanpur Nagar	M/s Eagle Tannery, 425/390, Makku Saeed Ka Bhatta, Jajmau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00
24	Kanpur Nagar	M/s Heena Leather Exim (Alvi Leather), 532/308, Bhalla Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00
25	Kanpur Nagar	M/s HR Traders, 111F, Chabilepurwa, Jaumau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00
26	Kanpur Nagar	M/s Star IA Enterprises (ZA leather), 42/41, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	7-Aug-18	25,000.00	0.00

27	Kanpur Nagar	M/s Aisha Tanning Ind, 3A, 150 feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	13-Aug-18	25,000.00	0.00	
28	Kanpur Nagar	M/s Alig International, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	13-Aug-18	50,000.00	0.00	
29	Kanpur Nagar	M/s Asha Export, 286/268, Dargah Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	13-Aug-18	25,000.00	0.00	
30	Kanpur Nagar	M/s Aslam Tannery, 42K, Budhiyaghat, Jajmau, Kanpur	25,000.00	13-Aug-18	25,000.00	0.00	
31	Kanpur Nagar	M/s Babloo Enterprises, 90/76, Eidgah Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	13-Aug-18	25,000.00	0.00	
32	Kanpur Nagar	M/s Bright Tanning Industries, 380/1-D, Sir Iqbal Street, Jajmau, Kanpur	50,000.00	13-Aug-18	50,000.00	0.00	
33	Kanpur Nagar	M/s Crown Tanners, 192/184, Ramrai Sarai, Jajmau, Kanpur	25,000.00	13-Aug-18	25,000.00	0.00	
34	Kanpur Nagar	M/s Akhlaq Tanners, 104/99 Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
35	Kanpur Nagar	M/s Amaan Tanners (Unit-I), 104/90A, Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
36	Kanpur Nagar	M/s Insha Leather Finishers, 160 C, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
37	Kanpur Nagar	M/s Irshad Split Works, 391/362, Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
38	Kanpur Nagar	M/s Islam Tanners, 93/79 C, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	28-Aug-18	50,000.00	0.00	
39	Kanpur Nagar	M/s New Light Tanning Ind, 125 Sir Iqbal Street, Jajmau, Kanpur	50,000.00	28-Aug-18	50,000.00	0.00	

40	Kanpur Nagar	M/s Qayum Leathers, 16 C-C, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	28-Aug-18	50,000.00	0.00	
41	Kanpur Nagar	M/s Ramsha Tanners 160 C Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
42	Kanpur Nagar	M/s RB Traders, 156/149, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
43	Kanpur Nagar	M/s Sallan Enterprises, 104/90, Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
44	Kanpur Nagar	M/s Shahid Tanner, 53, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
45	Kanpur Nagar	M/s Suleman Tanning Ind, 90/76 B(K) Eidgah Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
46	Kanpur Nagar	M/s Universal Tanning Ind, 407/377A, Asharfabad, Jajmau, Kanpur	25,000.00	28-Aug-18	25,000.00	0.00	
47	Kanpur Nagar	M/s Hamraz Tanners, 175/158 Budhiyaghat, Jajmau, Kanpur	25,000.00	10-Sep-18	25,000.00	0.00	
48	Kanpur Nagar	M/s Khursheed Anwar Ki tannery, 12/9 Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	10-Sep-18	25,000.00	0.00	
49	Kanpur Nagar	M/s Newada Tanners, 94/80, Dargah Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	10-Sep-18	25,000.00	0.00	
50	Kanpur Nagar	M/s Noor Tanners, 5 Block-B, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	10-Sep-18	25,000.00	0.00	
51	Kanpur Nagar	M/s Paradise Leather Finishers, 16 B-2, Chabilepurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	10-Sep-18	25,000.00	0.00	
52	Kanpur Nagar	M/s Rambo International, 66, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	10-Sep-18	25,000.00	0.00	

53	Kanpur Nagar	M/s Shariq Tanners, 786, Chabilepurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	10-Sep-18	25,000.00	0.00
54	Kanpur Nagar	M/s Jaj Tannery, 150 Fit Road, Jajmau, Kanpur	100,000.00	4-Oct-18	100,000.00	0.00
55	Kanpur Nagar	M/s Markari Leather ind. 265, Vajidpur, Jajmau, kanpur	25,000.00	4-Oct-18	25,000.00	0.00
56	Kanpur Nagar	M/s Yaqoob Tanners, 112 F, Chabilapurva, Jajmau, Kanpur	25,000.00	4-Oct-18	25,000.00	0.00
57	Kanpur Nagar	M/s Aftaab and Company (Soukat Ki Tannery), 396, Sanjaynagar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
58	Kanpur Nagar	M/s Arafaat Leather Finishers, 201/194 B, Sitla Bajar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
59	Kanpur Nagar	M/s Firoj Tanners, 379/1D, Sir Iqbal Strete, Jajmau, Kanpur	50,000.00	12-Oct-18	50,000.00	0.00
60	Kanpur Nagar	M/s Gauss Leather Finishers, 374/345 B, Bhalla State, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
61	Kanpur Nagar	M/s Globe Leather Ind. (Globe Ind. Cop. Unit 1) 37A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
62	Kanpur Nagar	M/s Globe Tanners, 52 A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
63	Kanpur Nagar	M/s Golden Interprises, 175/158 (4-D) Budhya Ghat, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
64	Kanpur Nagar	M/s H. K. Tanning Ind. 539/540. 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
65	Kanpur Nagar	M/s International Tenning Ind, 645, Vajid[ur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00

66	Kanpur Nagar	M/s J.N. International, (Jalalu Ki Tennery), 391/362, Sitla Bajar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
67	Kanpur Nagar	M/s Makhdoom Tanning Ind. 103/89, Vajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
68	Kanpur Nagar	M/s Naaj Leather Finishers, 14-A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	12-Oct-18	50,000.00	0.00
69	Kanpur Nagar	M/s Prime Tanners, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	12-Oct-18	50,000.00	0.00
70	Kanpur Nagar	M/s Super Leather Finishers, 406, Sanjay nagar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
71	Kanpur Nagar	M/s Tasmiya leather Pvt.Ltd. (Takat Leather Pvt. Ltd) 29 A, 150 Feet Road, Jajmau Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
72	Kanpur Nagar	M/s Zeenet Taners, 183A, Ram Roy saray, Jajmau Kanpur	25,000.00	12-Oct-18	25,000.00	0.00
73	Kanpur Nagar	M/s Aman Tannery (Liyakat Leather Finisirs), 127, Sir Iqbql Strit, jajmau, Kanpur.	25,000.00	15-Oct-18	25,000.00	0.00
74	Kanpur Nagar	M/s Hafis Sons Tannery Pvt. Ltd. 93 A, Vajidpur, Jajmau, Kanpur	50,000.00	15-Oct-18	50,000.00	0.00
75	Kanpur Nagar	M/s Islam Leather Finisirs, 141/134, Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	25,000.00	15-Oct-18	25,000.00	0.00
76	Kanpur Nagar	M/s Khatun Tanners (Rashid Tanners), 88/74, (22), Jajmau, Kanpur	25,000.00	15-Oct-18	25,000.00	0.00
77	Kanpur Nagar	M/s Pahalwan Tannery (Unit-3), 2-A/3, Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	25,000.00	15-Oct-18	25,000.00	0.00

78	Kanpur Nagar	M/s R.K. Tanners, 508, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	15-Oct-18	50,000.00	0.00
79	Kanpur Nagar	M/s Samsun Export, 88/74(7), Hindustan Kampound, Jajmau, Kanpur	25,000.00	15-Oct-18	25,000.00	0.00
80	Kanpur Nagar	M/s Sannu Interprises, B-13A, Bhalla State, Jajmau Kanpur.	25,000.00	15-Oct-18	25,000.00	0.00
81	Kanpur Nagar	M/s Shakib Leather Traders. (Imtiyaj Traders), 157 B, Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	25,000.00	15-Oct-18	25,000.00	0.00
82	Kanpur Nagar	M/s V.T.I Export (Khursheed ki Tennery), 126/119 B, gajjupurva, jajmau, Kanpur	25,000.00	15-Oct-18	25,000.00	0.00
83	Kanpur Nagar	M/s Abdullah Tannery Pvt Ltd, 16 B, Jajmau, Kanpur	50,000.00	25-Oct-18	50,000.00	0.00
84	Kanpur Nagar	M/s G.N leather, 168/162, Laltupurva, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
85	Kanpur Nagar	M/s Goodwill Tanners, 98 A, Vajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
86	Kanpur Nagar	M/s Haq Tanners (Everist tanning Ind.) 97A, Vajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
87	Kanpur Nagar	M/s ILAHI Tannery, 43/36, Shetla Bajar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
88	Kanpur Nagar	M/s Khwaja Finishers, 389/360-A, Sheetla Bajar, Jajmau Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
89	Kanpur Nagar	M/s Meraj Tanning Ind. 102/87-A(1), Jajmau, Kanpur	50,000.00	25-Oct-18	50,000.00	0.00
90	Kanpur Nagar	M/s Sajid Tanners, 361-1D(30 B-2), Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
91	Kanpur Nagar	M/s Shagun Industries, 94A, Vajidpur, Jajmau, Kanpur	50,000.00	25-Oct-18	50,000.00	0.00

92	Kanpur Nagar	M/s Shine Leather Finishers(Wellcome Chemical Ind.) ID-11, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
93	Kanpur Nagar	M/s Sunrise Tannery, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
94	Kanpur Nagar	M/s Vartex Leather, Plot No. 13A, 88/74, Hindustan Compound, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
95	Kanpur Nagar	M/s Zeeshan Trading Com. 71/60-A(4) Sitla Bajar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	25-Oct-18	25,000.00	0.00
96	Kanpur Nagar	M/s Indian Tanning ind. 150 Fit Road, Jajmau Kanpur	100,000.00	26-Oct-18	100,000.00	0.00
97	Kanpur Nagar	M/s Tanners Co (Unit of merit leather ind.) 91-A, Vajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	26-Oct-18	25,000.00	0.00
98	Kanpur Nagar	M/s Wahid Tanners, 153-B, Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	50,000.00	26-Oct-18	50,000.00	0.00
99	Kanpur Nagar	M/s Arafaat Leather Finishers, 201/194 B, Sitla Bajar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	5-Nov-18	25,000.00	0.00
100	Kanpur Nagar	M/s Aslam Tannery, 42K, Budhiyaghat, Jajmau, Kanpur	25,000.00	5-Nov-18	25,000.00	0.00
101	Kanpur Nagar	M/s Central Leather Finishers 112A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	5-Nov-18	25,000.00	0.00
102	Kanpur Nagar	M/s Crown Tanning Ind, 62A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	5-Nov-18	25,000.00	0.00
103	Kanpur Nagar	M/s Dawn Tanning Ind. 76-A, Eidgah Road, Jajmau Kanpur	50,000.00	5-Nov-18	50,000.00	0.00
104	Kanpur Nagar	M/s Navratan Ind. 532, 533 150 Fit Road, Jajmau Kanpur	50,000.00	5-Nov-18	50,000.00	0.00
105	Kanpur Nagar	M/s Noor Tanners, 5 Block-B, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	5-Nov-18	25,000.00	0.00

106	Kanpur Nagar	M/s Sahara Tanning Ind. 104, C-1, Wajidpur Jajmau, Kanpur	25,000.00	5-Nov-18	25,000.00	0.00
107	Kanpur Nagar	M/s Shahid Tannery, Plot no. 53, 150 Fit Road, Jajmau Kanpur	25,000.00	5-Nov-18	25,000.00	0.00
108	Kanpur Nagar	M/s Ahmad international, 367-368 A, Sanjaynagar, Jajmau Kanpur	25,000.00	13-Nov-18	25,000.00	0.00
109	Kanpur Nagar	M/s Chaudhary Leather Finishers, 410/380, Asharfabad, Jajmau, Kanpur	25,000.00	13-Nov-18	25,000.00	0.00
110	Kanpur Nagar	M/s Habib Leathers, 14-B, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	13-Nov-18	50,000.00	0.00
111	Kanpur Nagar	M/s Hanif Leathers Finishers, 331/306 Bhalla State, jajmau Kanpur	25,000.00	13-Nov-18	25,000.00	0.00
112	Kanpur Nagar	M/s India Enterprises, 90/76, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	13-Nov-18	25,000.00	0.00
113	Kanpur Nagar	M/s Leathers world, 184-A (1), Wajidpur, Jajmau, Kanpur	50,000.00	13-Nov-18	50,000.00	0.00
114	Kanpur Nagar	M/s Naushad Leather finishers, 30-A, Eidgah Road, Jajmau Kanpur	25,000.00	13-Nov-18	25,000.00	0.00
115	Kanpur Nagar	M/s Sofia international, 87 A, Vajidpur, jajmau Kanpur	25,000.00	13-Nov-18	25,000.00	0.00
116	Kanpur Nagar	M/s Upper India Tanning ind. (Old name- Uppper India Tannery pvt. Ltd.) Kanpur	100,000.00	13-Nov-18	100,000.00	0.00
117	Kanpur Nagar	M/s Zeeshan international (Ahmad Bilal ki Tannery) 175/168 Jajmau, Kanpur	25,000.00	13-Nov-18	25,000.00	0.00
118	Kanpur Nagar	M/s N. S. Tanners (unit-2) 83 A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	12-Dec-18	25,000.00	0.00

119	Kanpur Nagar	M/s Junaid Tanning Industries, Eidgah Road, 150 feet Road Kanpur	1,037,500.00	16-Apr-19		1,037,500.00	1-Dec-23
120	Kanpur Nagar	Ahmad International 367/368 A, Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
121	Kanpur Nagar	Bharat Tanning Industries, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	18-May-19	50,000.00	0.00	
122	Kanpur Nagar	Blue Star Finishers 996-996, Wajidpur Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
123	Kanpur Nagar	Bright Tanning Ind, Iqbal Street, Jajmau, Kanpur	50,000.00	18-May-19	50,000.00	0.00	
124	Kanpur Nagar	Crown Tanners, 192/184, Ramrai Sarai, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
125	Kanpur Nagar	Gem Tanners, 112-m/3, Wazidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
126	Kanpur Nagar	Ghazal Tanning Industries, 104/90-1A, Wazidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
127	Kanpur Nagar	Goodwill Tanners, 98-A, Wazidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
128	Kanpur Nagar	Haq Tanners, 97-A, Wazidpur, Jajmau, Kanpur	50,000.00	18-May-19	50,000.00	0.00	
129	Kanpur Nagar	Jamal Industries, 7/2, Gajjipurwa, Near Galla Godam Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
130	Kanpur Nagar	Karamat Tanning Industries, 783, Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
131	Kanpur Nagar	Khurshed Anwar Ki Tannery, 12/9, Banwari Lal Ka bagicha, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
132	Kanpur Nagar	Leather Imbosing, 379/D-3, Sir Iqbal Street, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	

133	Kanpur Nagar	Mahboob Sons 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
134	Kanpur Nagar	Mobin Tanners (Tanvir Leather Finishers), 91-A, Wazidpur, Jajmau, Kanpur,	50,000.00	18-May-19	50,000.00	0.00	
135	Kanpur Nagar	Omega International (Renets Eastern Export) 2B, 35 Ramrai Sarai, Jajmau, Kanpur	100,000.00	18-May-19	100,000.00	0.00	
136	Kanpur Nagar	Rizwan Tanning Ind. 104/90A Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	200,000.00	18-May-19	200,000.00	0.00	
137	Kanpur Nagar	S.R. Tannery, 129A , Block-C, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
138	Kanpur Nagar	Sunshine Industries (FR Leather), 69-A, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
139	Kanpur Nagar	Welcome Tannery (Arman Tanners), 77/66, Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
140	Kanpur Nagar	Yusuf Enterprises, 174, Wazidpur, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
141	Kanpur Nagar	Zeenat Tanners, 183m(1), Ramrai Sarai, Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
142	Kanpur Nagar	Zuric International (Shivli Tannery), 377-D,A Iqbal Street Jajmau, Kanpur	25,000.00	18-May-19	25,000.00	0.00	
143	Kanpur Nagar	Leather Imbosing, 379/D-3, Sir Iqbal Street, Jajmau, Kanpur	200,000.00	4-Jun-19	200,000.00	0.00	
144	Kanpur Nagar	M/s Shahid Tanner 53, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	375,000.00	4-Jun-19	375,000.00	0.00	
145	Kanpur Nagar	Hayat Tannery, 367A, Motinagar, Jajmau, Kanpur	25,000.00	27-Jun-19	25,000.00	0.00	
146	Kanpur Nagar	M/s Hamid Leather Finishers, 1-D, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	387,500.00	3-Jul-19		387,500.00	1-Dec-23

147	Kanpur Nagar	Finished Leather Job Work, 433/398, Makku Saeed Ka Bhatta, Jajmau, Kanpur	50,000.00	22-Jul-19	50,000.00	0.00	
148	Kanpur Nagar	M/s Aman Tanners Unit-2, 104/90A (17A) Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	337,500.00	13-Aug-19		337,500.00	1-Dec-23
149	Kanpur Nagar	M/s Bright Tanning Industries, 380/1-D, Sir Iqbal Street, Jajmau, Kanpur	125,000.00	13-Aug-19	125,000.00	0.00	
150	Kanpur Nagar	M/s Sultan Tanners, 230, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	100,000.00	13-Aug-19	100,000.00	0.00	
151	Kanpur Nagar	M/s Sunshine Industries (FR Leather) 69A, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	62,500.00	13-Aug-19	62,500.00	0.00	
152	Kanpur Nagar	M/s Zuric International (Shivli Tannery), 377DA, Iqbal Street, Jajmau, Kanpur	87,500.00	13-Aug-19	87,500.00	0.00	
153	Kanpur Nagar	Universal Tanning Industries, 407/377A, Asharfabad, Jajmau, Kanpur	25,000.00	9-Sep-19	25,000.00	0.00	
154	Kanpur Nagar	Allied Leather and Leather Products, 51A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	62,500.00	1-Nov-19	62,500.00	0.00	
155	Kanpur Nagar	NS Tanners, Unit-II, 83A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	87,500.00	1-Nov-19	87,500.00	0.00	
156	Kanpur Nagar	Swan Tanning Industries Plot No. 199, 205, 207 Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	225,000.00	1-Nov-19	225,000.00	0.00	
157	Kanpur Nagar	Zaz Tannery 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	112,500.00	1-Nov-19	112,500.00	0.00	
158	Kanpur Nagar	Almijan Tanning Industries, 94A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	87,500.00	18-Nov-19	87,500.00	0.00	
159	Kanpur Nagar	Sunshine Industries (FR Leather), 69-A, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	62,500.00	18-Nov-19	62,500.00	0.00	

160	Kanpur Nagar	Blue Star Finishers 996-996, Wajidpur Jajmau, Kanpur	162,500.00	6-Dec-19	162,500.00	0.00	
161	Kanpur Nagar	NS Tanners, 84 A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	87,500.00	6-Dec-19	87,500.00	0.00	
162	Kanpur Nagar	Danish Tanners, 913, Vajidpur, Jajmau, Kanpur.	62,500.00	20-Dec-19	62,500.00	0.00	
163	Kanpur Nagar	M/s Liberty Tanners, 173/157, Buriha Gath, Jajmau, kanpur.	62,500.00	20-Dec-19		62,500.00	1-Dec-23
164	Kanpur Nagar	New Taj Leather finishers Wajidpur, Jajmau, Kanpur	62,500.00	20-Dec-19	62,500.00	0.00	
165	Kanpur Nagar	Shine Leather Finishers (Welcome chemicals Ind) Chabilepurwa, Jajmau, Kanpur	62,500.00	20-Dec-19	62,500.00	0.00	
166	Kanpur Nagar	M/s Super Trade 12/9, Banwari Lal ka Bagicha, Jajmau, Kanpur	62,500.00	26-Dec-19		62,500.00	1-Dec-23
167	Kanpur Nagar	Prime Tanners, 13A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	50,000.00	30-Dec-19	50,000.00	0.00	
168	Kanpur Nagar	M/S Gretar Arafat Tennery Pvt. Ltd. 12 C 150 Feet Road Jajmau Kanpur Road	37,500.00	19-Feb-20		37,500.00	1-Dec-23
169	Kanpur Nagar	M/S Huda Hights Kazi Leather Chabilepurwa, Jajmau, Kanpur	187,500.00	29-May-20	187,500.00	0.00	
170	Kanpur Nagar	M/S Jamal Industries, GajuPurava Jajmau Kanpur	62,500.00	18-Jun-20	62,500.00	0.00	
171	Kanpur Nagar	M/S Leather Age, Hindustan Compound, Jajmau, Kanpur	62,500.00	18-Jun-20	62,500.00	0.00	
172	Kanpur Nagar	M/S Nafees Ki Tanery, Chabilay Purva Jajmau Kanpur	12,500.00	18-Jun-20	12,500.00	0.00	
173	Kanpur Nagar	M/S Rider Tanning, Jajmau, Kanpur	62,500.00	18-Jun-20	62,500.00	0.00	
174	Kanpur Nagar	M/S Seema Taneing, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	62,500.00	18-Jun-20	62,500.00	0.00	

175	Kanpur Nagar	M/S Sultan Taners, Jajmau, Kanpur	87,500.00	18-Jun-20	87,500.00	0.00	
176	Kanpur Nagar	M/S Zaz Tannery, Jajmau, Kanpur	187,500.00	7-Sep-20		187,500.00	1-Dec-23
177	Kanpur Nagar	M/S Jurik International, Iqbal Streat, Jajmau, Kanpur	137,500.00	11-Aug-20	137,500.00	0.00	
178	Kanpur Nagar	M/S Liyakat Leather Finishers, 127 Iqbal State, Jajmau, Kanpur	137,500.00	11-Aug-20	137,500.00	0.00	
179	Kanpur Nagar	M/s R.K. Tanners, 508, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	137,500.00	17-Aug-20	137,500.00	0.00	
180	Kanpur Nagar	Imperial Leather finishers Pvt. Ltd. Chabilay Purva jajmau kanpur	62,500.00	26-Aug-20		62,500.00	1-Dec-23
181	Kanpur Nagar	M/S Irfaan Tanners, 75A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	62,500.00	26-Aug-20	62,500.00	0.00	
182	Kanpur Nagar	M/S Jajmau Leather Finishers (Bihari Tannery), 16 B-1, Jajmau, Kanpur	287,500.00	26-Aug-20		287,500.00	1-Dec-23
183	Kanpur Nagar	M/S Shams Leather Finishers Unit-1, Jajmau, Kanpur	112,500.00	26-Aug-20		112,500.00	1-Dec-23
184	Kanpur Nagar	M/S Sunshine Tanning Ind. Ltd. (FR Leather) Jajmau Kanpur	75,000.00	26-Aug-20	75,000.00	0.00	
185	Kanpur Nagar	M/S Sunshine Tanning Ind. Wajidpur, Jajmau, Kanpur	62,500.00	26-Aug-20	62,500.00	0.00	
186	Kanpur Nagar	M/s Tez Industries, Jajmau, Kanpur	62,500.00	26-Aug-20	62,500.00	0.00	
187	Kanpur Nagar	M/s Jameel Ahmed, 12/9, Gajjupurva, Jajmau Kanpur	475,000.00	7-Sep-20		475,000.00	1-Dec-23
188	Kanpur Nagar	M/s Liberty Tanners, Budiyagath, Jajmau, Kanpur.	150,000.00	7-Sep-20		150,000.00	1-Dec-23
189	Kanpur Nagar	M/s Almijaan Tanning ind. 94a, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	12,500.00	25-Sep-20	12,500.00	0.00	

190	Kanpur Nagar	M/s Globe Tanners, 52 A, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	12,500.00	25-Sep-20	12,500.00	0.00	
191	Kanpur Nagar	M/s Sunshine Industries (FR Leather) 69A, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur	12,500.00	25-Sep-20	12,500.00	0.00	
192	Kanpur Nagar	M/s Unique International, 980D, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	12,500.00	25-Sep-20	12,500.00	0.00	
193	Kanpur Nagar	Blue Star Finishers 996-996, Wajidpur Jajmau, Kanpur	100,000.00	11-Dec-20	100,000.00	0.00	
194	Kanpur Nagar	Everest Tannery Upholestory Farhat Jabi Ki Tannery, Jajmau, Kanpur	100,000.00	11-Dec-20	100,000.00	0.00	
195	Kanpur Nagar	M/s Almijan Tanning Industries, 94A, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	100,000.00	11-Dec-20	100,000.00	0.00	
196	Kanpur Nagar	Sunshine tanning industries, 482/483, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	100,000.00	11-Dec-20	100,000.00	0.00	
197	Kanpur Nagar	Yusuf Enterprises, 174, Wazidpur, Jajmau, Kanpur	100,000.00	11-Dec-20	100,000.00	0.00	
198	Kanpur Nagar	M/s Salik Leather Finishers, Plot N.-53, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	12,500.00	16-Dec-20	12,500.00	0.00	
199	Kanpur Nagar	M/s Ahraj Belt, 200-A/18, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	150,000.00	23-Dec-20		150,000.00	1-Dec-23
200	Kanpur Nagar	M/s Asif Tannery(opposite-Asharfabad Masjid, Asharfabad, Jajmau, Kanpur	150,000.00	23-Dec-20		150,000.00	1-Dec-23
201	Kanpur Nagar	Sallan Enterprises (Shadab Enterprises), 104/90A, Sanjay nagar, Jajmau, Kanpur	50,000.00	23-Dec-20	50,000.00	0.00	

202	Kanpur Nagar	Super Tannery Ltd Unit-2, Mona Tanning Ind. 545 , Mona nagar, Wajidpur, Jajmau, Kanpur	50,000.00	23-Dec-20	50,000.00	0.00	
203	Kanpur Nagar	M/s Shahid Tannery, 53, 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur	100,000.00	6-Jan-21	100,000.00	0.00	
204	Kanpur Nagar	AZIZ LEATHER FINISERS , 171/155 , BHURIYAGHAT , JAJMAU	62,500.00	7-Jan-21	62,500.00	0.00	
205	Kanpur Nagar	GAJALA TANNERY (RAZZAK TANNERY) 189/172 , DARGHA SARIF ROAD , JAJMAU	62,500.00	7-Jan-21	62,500.00	0.00	
206	Kanpur Nagar	HABIB LEATHER FINISERS(HABIB TANNERY) , 14 b, 150 FT. ROAD , JAJMAU	62,500.00	7-Jan-21	62,500.00	0.00	
207	Kanpur Nagar	LEATHER AGE (ACME TANNERS) , HIDUSTAN COMPOUND , JAJMAU	62,500.00	7-Jan-21	62,500.00	0.00	
208	Kanpur Nagar	M/s JAMAL IND , 7/2 , GAJJUPURWA , JAJMAU	187,500.00	7-Jan-21	187,500.00	0.00	
209	Kanpur Nagar	NOOR TANNERS , 5 BLOCK B , 150 FT. ROAD , JAJMAU	62,500.00	7-Jan-21	62,500.00	0.00	
210	Kanpur Nagar	R.K. TANNERS ,508, 150 FT. ROAD , JAJMAU	62,500.00	7-Jan-21	62,500.00	0.00	
211	Kanpur Nagar	SHAMS LEATHER FINISERS, 150 FT. ROAD , JAJMAU	62,500.00	7-Jan-21	62,500.00	0.00	
212	Kanpur Nagar	YUSUF ENTERPRISES, 174 , WAJIDPUR , KANPUR	62,500.00	7-Jan-21	62,500.00	0.00	
213	Kanpur Nagar	M/s Himalaya Tanners,150 feet road, Jajmau, Kanpur	37,500.00	24-Mar-21	37,500.00	0.00	
214	Kanpur Nagar	M/s Zaz Tannery 150 feet road, Jajmau, Kanpur	37,500.00	24-Mar-21	37,500.00	0.00	
215	Kanpur Nagar	Super Tannery Ltd,187/170, Jajmau Road, Jajmau Kanpur	175,000.00	17-Jun-21	175,000.00	0.00	

216	Kanpur Nagar	New Globe Exim 104/90-A-7(2,3), Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	12,500.00	18-Jun-21	12,500.00	0.00	
217	Kanpur Nagar	Blue Star Finishers 996-996, Wajidpur Jajmau, Kanpur	62,500.00	25-Jun-21	62,500.00	0.00	
218	Kanpur Nagar	M/s MA Industries, 964K, Wajidpur Jajmau, Kanpur	50,000.00	9-Jul-21	50,000.00	0.00	
219	Kanpur Nagar	Union Tanners (Crown International), 104/90A, Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	237,500.00	15-Jul-21	237,500.00	0.00	
220	Kanpur Nagar	Union Tanners (Crown International), 104/90A, Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	237,500.00	15-Jul-21	237,500.00	0.00	
221	Kanpur Nagar	M/s HOMERA TANNING INDUSTRIES PVT. LTD., 1-D (17-A-1), 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR, UP	237,500.00	20-Jul-21		237,500.00	1-Dec-23
222	Kanpur Nagar	M/s TRIVENI TANNERS, 325/302, JAJMAU ROAD, JAJMAU, KANPUR, UP	87,500.00	20-Jul-21	50,000.00	37,500.00	1-Dec-23
223	Kanpur Nagar	NORTHERN TANNERY, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR, UP	337,500.00	20-Jul-21	337,500.00	0.00	
224	Kanpur Nagar	M/s GAZALA TANNERY (RAJJAK TANNERY), 189/172, DARGHA SARIF ROAD, JAJMAU, KANPUR, UP	325,000.00	17-Aug-21	325,000.00	0.00	
225	Kanpur Nagar	Venus Industries, Jajmau Road, Jajmau, Kanpur	37,500.00	17-Aug-21	37,500.00	0.00	
226	Kanpur Nagar	M/s Sannu Enterprises, B-13, Bhalla Estate, Jajmau, Kanpur	50,000.00	1-Sep-21	50,000.00	0.00	
227	Kanpur Nagar	M/s United Provinces Tannery Pvt Ltd, Jajmau, Kanpur	75,000.00	1-Sep-21		75,000.00	1-Dec-23
228	Kanpur Nagar	Shams Leather Finisher, 16 D, Jajmau, Kanpur	187,000.00	2-Sep-21	187,000.00	0.00	

229	Kanpur Nagar	Sunrise Tannery, 72 A, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur	112,500.00	8-Sep-21	112,500.00	0.00
230	Kanpur Nagar	Firoz ki Tannery, 36/37, Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	50,000.00	17-Sep-21	50,000.00	0.00
231	Kanpur Nagar	Indian Tanning Ind., 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur	262,500.00	17-Sep-21	262,500.00	0.00
232	Kanpur Nagar	LIYAKAT LEATHER FINISERS (AMAN TANNERY), 127, SIR IQBAL STREET, JAJMAU, KANPUR, UP	25,000.00	17-Sep-21	25,000.00	0.00
233	Kanpur Nagar	R.K. Tanners, 508, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur	37,500.00	17-Sep-21	37,500.00	0.00
234	Kanpur Nagar	Sarfaraz Tanners, 382/353, Bangalighat, Jajmau, Kanpur	62,500.00	17-Sep-21	62,500.00	0.00
235	Kanpur Nagar	Waheed Tanners, 153 B, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur	100,000.00	17-Sep-21	100,000.00	0.00
236	Kanpur Nagar	Zeeshan Enterprises (Ahmad Bilal ki Tannery), 175/158, Lallupurva, Jajmau, Kanpur	75,000.00	17-Sep-21	75,000.00	0.00
237	Kanpur Nagar	Finished Leather Job Work, 433/398, Makku Saeed Ka Bhatta, Jajmau, Kanpur	12,500.00	29-Sep-21	12,500.00	0.00
238	Kanpur Nagar	Habeeb Leather Finishers (Habeeb Tannery), 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur	25,000.00	29-Sep-21	25,000.00	0.00
239	Kanpur Nagar	Iqbal & Company, 407/377 A, Asharphabad, Jajmau, Kanpur	25,000.00	29-Sep-21	25,000.00	0.00
240	Kanpur Nagar	M/s Ameen Enterprises (I.A. Chemicals), 71/60 A, Shitla Bazar, Kanpur	12,500.00	29-Sep-21	12,500.00	0.00
241	Kanpur Nagar	Noor Tanner, 5 Block-B, 150 Ft. Road, Jajmau Kanpur	37,500.00	29-Sep-21	37,500.00	0.00
242	Kanpur Nagar	Ramsha Tanners (Old Name- Firoz ki tannery) 160 C, Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	12,500.00	29-Sep-21	12,500.00	0.00

243	Kanpur Nagar	Shine Leather Finishers (Welcome chemicals Ind) Chabilepurwa, Jajmau, Kanpur	37,500.00	9-Nov-21	37,500.00	0.00	
244	Kanpur Nagar	M/s S.R. Tannery, 129A , Block-C, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	200,000.00	15-Nov-21	200,000.00	0.00	
245	Kanpur Nagar	PAHALWAN TANNERY (UNIT-3), PLOT NO. 2-A/3, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR, UP	25,000.00	8-Dec-21	25,000.00	0.00	
246	Kanpur Nagar	Everest Tanning Ind. (Unit-2), 184 B-1, Budhiyaghat, Jajmau, Kanpur	37,500.00	10-Dec-21	37,500.00	0.00	
247	Kanpur Nagar	HAYAT TANNERY, 367-A,MOTI NAGAR, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR, UP	12,500.00	17-Dec-21	12,500.00	0.00	
248	Kanpur Nagar	M/s ZAZ TANNERY, 150 FEET ROAD, JAJMAU, KANPUR, UP	325,000.00	17-Dec-21		325,000.00	1-Dec-23
249	Kanpur Nagar	A.P.F.TANNERS(SABNAM TANNERY) 70/59 , SHITLA BAZAR , JAJMAU	12,500.00	11-Jan-22	12,500.00	0.00	
250	Kanpur Nagar	AHMAD BILAL KI TANNERY , 187/183 , GAJJUPURWA , JAJMAU	12,500.00	11-Jan-22	12,500.00	0.00	
251	Kanpur Nagar	KHATUN TANNERS(RASID TANNERS) , HIDUSTAN COMPOUND , JAJMAU	12,500.00	11-Jan-22	12,500.00	0.00	
252	Kanpur Nagar	M/s ASHA EXPORT (ASHA HIDES) 466/868 ,NEAR STATE BANK , JAJMAU	12,500.00	11-Jan-22		12,500.00	1-Dec-23
253	Kanpur Nagar	G.P. LEATHER (PAHALWAN TANNERY UNIT-I), 2-A, ARAZI NO. 493, GAJJUPURWA, JAJMAU, KANPUR, UP	25,000.00	4-Feb-22	25,000.00	0.00	

254	Kanpur Nagar	Everest Tannery Upholestory Farhat Jabi Ki Tannery, Jajmau, Kanpur	162,500.00	4-Mar-22	162,500.00	0.00	
255	Kanpur Nagar	M/s Gem Tanners, 112-m/3, Wazidpur, Jajmau, Kanpur	162,500.00	8-Mar-22	162,500.00	0.00	
256	Kanpur Nagar	Super Tannery Ltd,187/170, Jajmau Road, Jajmau Kanpur	175,000.00	17-Jun-22	175,000.00	0.00	
257	Kanpur Nagar	Feroj Tainers [UNIT-1] 379/1 De Sir Iqbal Street Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	21-Nov-22	12,500.00	0.00	
258	Kanpur Nagar	Navratan Industres 532,33,150 Fit Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	21-Nov-22	12,500.00	0.00	
259	Kanpur Nagar	New Era Tainning Center 106/100 Gaju Purwa Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	21-Nov-22	12,500.00	0.00	
260	Kanpur Nagar	Sallan Enterprises 332/308,10 B Balla State Jajmau, Kanpur	12,500.00	21-Nov-22	12,500.00	0.00	
261	Kanpur Nagar	Amaan Tanners 104/90 A [20] Sanjya Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
262	Kanpur Nagar	Best Tanning Industris 16 B-150 Fit Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
263	Kanpur Nagar	Firoz ki Tannery, 36/37, Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	12,500.00	29-Nov-22		12,500.00	1-Dec-23
264	Kanpur Nagar	Himalya Tanners 150 Fit Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
265	Kanpur Nagar	Illahi Tannery 43/36 Shitla Bajar Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22		12,500.00	1-Dec-23
266	Kanpur Nagar	Iqbal Tanners 16 C-1A 150 Fit Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
267	Kanpur Nagar	Mahboob Sons 104/90 [21] 150 Ft Road,Wagidpur Jajmau, Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	

268	Kanpur Nagar	Meenar Industry 401 Sanjay Nagar Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
269	Kanpur Nagar	Nafees ke Tannery [N A Trad] 1-D-15 A Chabilay purwa Jajmau kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22		12,500.00	1-Dec-23
270	Kanpur Nagar	Roshan Lather Industry 9/10 Gajjupurwa Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
271	Kanpur Nagar	S.S. Tanners [Ayaj Tanners] 104/90 A [B] Wagidpur Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
272	Kanpur Nagar	Sabra Lather Finisher 94 E Wagidpur Jajmau Kanpur Nagar	212,500.00	29-Nov-22	52,000.00	160,500.00	1-Dec-23
273	Kanpur Nagar	Sahara Tainning Industry 104 C-1 Wajidpur Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
274	Kanpur Nagar	Sarfaraaz Tanners, 382/353, Bangalighat, Jajmau, Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
275	Kanpur Nagar	Sharik Tanners 786 Chabilyapurwa Jajmau Kanpu Nagar	25,000.00	29-Nov-22	25,000.00	0.00	
276	Kanpur Nagar	Swan Tanning Industries Plot No. 199, 205, 207 Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
277	Kanpur Nagar	Yakub Tanners 112 F Chabilyapurwa Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22	12,500.00	0.00	
278	Kanpur Nagar	Zeenat Tanners 183-A[1] Ramrai Saryai Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22		12,500.00	1-Dec-23
279	Kanpur Nagar	Zeeshan Trading Company [Sahabudeen ke Tannery] 71/60-A[4] Shitla Bazar Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	29-Nov-22		12,500.00	1-Dec-23

280	Kanpur Nagar	Farhan Tanners-172/156 Budhyghat	25,000.00	12-Dec-22	25,000.00	0.00
281	Kanpur Nagar	Abdullah Tanner Pvt Ltd 16 B Gajjupurwa Jajmau Kanpur Nagar	175,000.00	19-Dec-22	175,000.00	0.00
282	Kanpur Nagar	Mash International Pvt Ltd, 83/69 Hindustan Tannery Compound Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	15-Sep-23	12,500.00	0.00
283	Kanpur Nagar	Sultan Tanners-230 Jajmau Koad Kanpur Nagar	137,500.00	18-Sep-23	137,500.00	0.00
284	Kanpur Nagar	Tajwar Hussain Ke Tannery [Euroasi Leather] 107/87 B [1A] Wajedpur Jajmau Kanpur Nagar	50,000.00	10-Oct-23		50,000.00
285	Kanpur Nagar	Rider Taining Industries-242 Gajjupurwa Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	18-Oct-23	12,500.00	0.00
286	Kanpur Nagar	Blue Star Finishers 996-996, Wajidpur Jajmau, Kanpur Nagar	12,500.00	31-Oct-23		12,500.00
287	Kanpur Nagar	United Provinces Tannery Co.Ltd, Asharfabad Jajmau Kanpur U.P.	1,987,500.00	1-Dec-23		1,987,500.00
288	Kanpur Nagar	Azan International M/S Junaid Tanning Ind. 93/78-79-A, Idgahroad Jajmau Kanpur U.P.	12,375,000.00	5-Jan-24		12,375,000.00
289	Kanpur Nagar	Nisha Traders 25/20 GajjuPurwa Jajmau Distt- Kanpur	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00
290	Kanpur Nagar	Nafees ke Tannery [N A Trad] 1- D-15 A Chabilay purwa Jajmau kanpur	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00

291	Kanpur Nagar	Sarfaraz Tanners, 382/353, Bangalighat Sheetla Bazar Jajmau, Kanpur	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
292	Kanpur Nagar	R.K. Leathers Enterprises 87-c [1] A Wajedpur Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00	
293	Kanpur Nagar	Habib Tannery Pvt Ltd, 15 B 150 Feet Road Jajmau Kanpur	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
294	Kanpur Nagar	Aman Tannery-127 Sir Ig Iqbal Street Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
295	Kanpur Nagar	Habib Leather 14 B 150 Feet Road Jajmau Kanpur	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
296	Kanpur Nagar	Unique International -980-D Wajedpur Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
297	Kanpur Nagar	Indian Tanning Ind., 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
298	Kanpur Nagar	Sartaj Tanners [M.M.Z. Tannery] 104/90 [A-7 S] Wajedpur Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00	
299	Kanpur Nagar	Khatoon Tanners [Rasid Tanners] 22,88/74 Hindustan Compound Jajmau Kanpur Nagar	137,500.00	13-Dec-23	137,500.00	0.00	
300	Kanpur Nagar	Homera Tanning Industries Pvt Ltd -1-D, 17-A-1, 150 Feet Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00	
301	Kanpur Nagar	Barkat Tanners [Reliance Tanning Ind] 487-488, 150 Feet Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00	

302	Kanpur Nagar	AHTesham Leather and Leather Product [old Name- Nasir Ke Tannery] 345/317 Plot NO- 5 Shitla Bazar Jajmau Kanpur Nagar	362,500.00	13-Dec-23		362,500.00	
303	Kanpur Nagar	Zaj Impex-208/300 Shitla Bazar Jajmau Kanpur Nagar	3,262,500.00	13-Dec-23		3,262,500.00	
304	Kanpur Nagar	Park Leather 58/47 Sheetla Bazar Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00	
305	Kanpur Nagar	Crown Tanning Industries 62 A Wajedpur Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
306	Kanpur Nagar	Techno Hides [OLD NAME- K.C. Tain] 101/87-B-4 Wajidpur Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
307	Kanpur Nagar	Union Tanners (Crown International), 104/90A,26 Sanjay Nagar, Jajmau, Kanpur	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
308	Kanpur Nagar	Crown Tanners [Perfect Tanners] 53/150 Feet Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00	
309	Kanpur Nagar	Awadh Tannery 333/307 Balla State Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
310	Kanpur Nagar	Welcome Tannery (Arman Tanners), 77/66-B Sheetla Bazar, Jajmau, Kanpur	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
311	Kanpur Nagar	Navratan Industries 532,533,150 Feet Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
312	Kanpur Nagar	Best Tanning Industries Pvt Ltd, 16 B-150 Fit Road Jajmau Kanpur Nagar	25,000.00	13-Dec-23	25,000.00	0.00	

313	Kanpur Nagar	Minar Industries 401 Sanjay Nagar Wajedpur Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00	
314	Kanpur Nagar	AL-Meezan Tanning Industries 94-A Wajedpur Jajmau Kanpur Nagar	25,000.00	13-Dec-23		25,000.00	
315	Kanpur Nagar	Ramsha Tanners (Old Name- Firoz ki tannery) 160 C, Gajjupurva, Jajmau, Kanpur	12,500.00	13-Dec-23		12,500.00	
316	Kanpur Nagar	Salik Leather Finisher Plot No- 53,150 Feet Road Jajmau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
317	Kanpur Nagar	Star Tanning Industries 19 B, Laltupurwa Wajaj Mau Kanpur Nagar	12,500.00	13-Dec-23	12,500.00	0.00	
318	Kanpur Nagar	Mercury Leather Finishers, 265, Wajidpur, Jajmau, Kanpur Nagar	50,000.00	18-Jul-24		50,000.00	
319	Kanpur Nagar	Rahman Industry Ltd. (Allahdad ki Tanner), 99/85A, Jajmau, Kanpur Nagar	37,500.00	15-Jul-24	37,500.00	0.00	
320	Kanpur Nagar	Super Style Tanners Pvt. Ltd. 79, Jajmau, Kanpur Nagar.	12,500.00	16-Jul-24	12,500.00	0.00	
321	Kanpur Nagar	Naz leather finisher, Jajmau, Kanpur Nagar	12,500.00	16-Jul-24	12,500.00	0.00	
322	Kanpur Nagar	Zaz Tanners, 150 feet Road, Jajmau, Kanpur Nagar	25,000.00	19-Jul-24		25,000.00	
323	Kanpur Nagar	Universal Tanning Industries, 407/377 A, Jajmau, Kanpur Nagar	75,000.00	19-Jul-24		75,000.00	
324	Kanpur Nagar	Blue Star Finishers, 996-999 Wajidpur, Jajmau	37,500.00	13-Aug-24		37,500.00	
325	Kanpur Nagar	Yakoob Tanners, 112-F Chabilepurwa, Jajmau	12,500.00	4-Sep-24	12,500.00	0.00	
326	Kanpur Nagar	Khwaja Finishers, 389/360-A, Sheetla Baazar, Jajmau	37,500.00	12-Sep-24	37,500.00	0.00	

327	Kanpur Nagar	Merit Leather Finishers, 414, Sanjay Nagar, Jajmau	12,500.00	13-Sep-24	12,500.00	0.00
328	Kanpur Nagar	Pahalwan Tannery (UNIT-2), 2A, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur, UP	125,000.00	18-Sep-24	125,000.00	0.00
329	Kanpur Nagar	Mahboob Sons 104/90 [21] 150 Ft Road, Wagidpur Jajmau, Kanpur Nagar	12,500.00	4-Oct-24	12,500.00	0.00
330	Kanpur Nagar	L.D. Exports Unit-2 (Old Name-Sallan Enterprises) 332/308, 10 B Bhalla Estate Jajmau, Kanpur Nagar	12,500.00	14-Oct-24	12,500.00	0.00
331	Kanpur Nagar	New Globe Exim 104/90-A-7(2,3), Wajidpur, Jajmau, Kanpur Nagar	50,000.00	16-Oct-24	50,000.00	0.00
332	Kanpur Nagar	Crown Tanners, 192/184, Ramrai Sarai, Jajmau, Kanpur	12,500.00	29-Aug-24	12,500.00	0.00
333	Kanpur Nagar	Nurullah Tanners, 815 Wajidpur, Jajmau, Kanpur Nagar	25,000.00	21-Oct-24	25,000.00	0.00
334	Kanpur Nagar	Penja Tanning Industries, 104/90 (23 A) Sanjay Nagar Jajmau	12,500.00	23-Oct-24	12,500.00	0.00
335	Kanpur Nagar	Salik Leather Finisher Plot No-53, 150 Feet Road Jajmau Kanpur Nagar	62,500.00	11-Nov-24		62,500.00
336	Kanpur Nagar	Arshi Enterprises 175/158 B-2, Budhiyaghat, Jajmau, Kanpur Nagar	12,500.00	20-Nov-24	12,500.00	0.00
337	Kanpur Nagar	N.S.Tanners 84-A, Wajidpur, Jajmau	12,500.00	5-Dec-24	12,500.00	0.00
338	Kanpur Nagar	R.B. Traders, 156/149 Gajjupurwa	37,500.00	5-Dec-24	37,500.00	0.00
339	Kanpur Nagar	Awadh Tannery 333/307-5 Bhalla State Jajmau	12,500.00	17-Dec-24		12,500.00

संदर्भ सं०
Ref. No. H35102

सं-2/N. Govt. Cell/M-2/2019

दिनांक
Date 25-4-19

सेवा में,

महाप्रबंधक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम,
कानपुर नगर।

पंजीकृत

Diary No. 287
File No.
File S. No.
Date 04/05/19

विषय- जाजमऊ स्थित एस०टी०पी० का संचालन दिनांक 16.04.2019 से बन्द होने के कारण अशोधित घरेलू सीवेज का निस्तारण सीधे गंगा नदी में होने के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.07.17 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हो कि जाजमऊ स्थित एस०टी०पी० का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.04.19 को तथा जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति द्वारा दिनांक 20.04.2019 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 21.04.2019 द्वारा प्राप्त निरीक्षण आख्याओं के अनुसार जाजमऊ स्थित कॉमन सीवेज पम्पिंग स्टेशन से 130 एम०एल०डी०, 43 एम०एल०डी० एवं 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० को सम्प्रेषण हेतु स्थापित 1500 एमएम० सीवर लाइन फट जाने के कारण एस०टी०पी० पर घरेलू उत्प्राह दिनांक 16.04.2019 को प्रातः 2:30 बजे से सम्प्रेषित नहीं किया जा रहा है तथा सी०एस०पी०एस० पर प्राप्त हो रहे घरेलू उत्प्राह को बाईपास कर बिना शुद्धिकरण के सीधे गंगा नदी में निस्तारित किया जा रहा है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014, एम०सी० गेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के पृष्ठ सं०-465 पर उल्लिखित आदेश के अंश निम्नवत है -

....."Any Government Agency, Public Authority, Industry or person who violates any of the directions contained in this judgement and more particularly in relation to storage, transportation of spent chrome liquor, dumping of any kind of waste in river Ganga and its tributaries or on the banks of the same and discharges effluents from outlet, including the STP/CETP in violation to the prescribed norms or is found to be discharging spent chrome liquor or any effluent containing chrome or otherwise, shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- for each breach or default.

.....The environmental compensation shall be recovered by the UPPCB on the basis of the violations detected by the Board, any of the inspecting agency or the inspection teams appointed by the Tribunal

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 21.04.19 द्वारा सी०एस०पी०एस० पर प्राप्त हो रहे घरेलू सीवेज को बिना शुद्धिकरण के सीधे गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर नगर पर दिनांक 16.04.2019 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

-2-

अतः ना० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में उत्तरदायी संस्था गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर पर रू० 50,000/- प्रति उल्लंघन की दर से दिनांक 16.04.2019 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 20.04.2019 तक अर्थात् 05 दिनों हेतु, सी०एस०पी०एस० से अशोधित घरेलू सीवेज का गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत रू० 2,50,000.00 (दो लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनिजन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में प्रकृत सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का सहाय क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करने सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी गहोदय, कानपुर नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।


सदस्य सचिव

सेवा में

परियोजना प्रबंधक
मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम,
कानपुर।

दिनांक 01/01/21
Date

पंजीकृत

विषय- मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर द्वारा सी०ई०टी०पी०, जाजमऊ से शोधित उत्प्रवाह के सतत अनुश्रवण हेतु स्थापित ऑनलाईन कान्डीनुअस एफ्लुएण्ट मॉनीटरिंग सिस्टम से प्राप्त आकड़ों के अनुसार दिनांक 02.12.2020 को TSS & COD दि० 17.12.2020 को TSS, COD & BOD एवं दि० 18.12.2020 को TSS & COD की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि सी०ई०टी०पी० जाजमऊ का संघालन प्रभावी रूप से नहीं किया गया है तथा अशोधित उत्प्रवाह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में निस्तारित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के पृष्ठ सं०-465 पर उल्लिखित आदेश के अंश निम्नवत हैं -

"Any Government Agency, Public Authority, Industry or person who violates any of the directions contained in this judgement and more particularly in relation to storage, transportation of spent chrome liquor, dumping of any kind of waste in river Ganga and its tributaries or on the banks of the same and discharges effluents from outlet, including the SIP/CETP in violation to the prescribed norms or is found to be discharging spent chrome liquor or any effluent containing chrome or otherwise, shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- for each breach or default. Besides above, where offence is related to chrome, in case of industry which is processing 30 or less hides per day, they would be liable to pay environmental compensation of Rs. 25,000/- per breach; industry entitled to process more than 30 but less than 100 hides per day, would be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- per breach and the industry processing more than 100 hides per day, Rs. 1,00,000/- per breach. The environmental compensation shall be recovered by the UPPCB on the basis of the violations detected by the Board, any of the inspecting agency or the inspection teams appointed by this Tribunal. In the event of default of payment of the environmental compensation, the industry shall be ordered to be closed."

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुसार उद्योग द्वारा किये गये जलीय प्रदूषण से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति उल्लंघन हेतु रु० 50,000/- (रु० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जानी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर पर दिनांक 02.12.2020, 17.12.2020 एवं 18.12.2020 को 03 दिनों की उल्लंघन अवधि हेतु कुल रूपये 1,50,000/- (रु० एक लाख पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भयदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Third Party

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

A

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

E

LAK
LAK

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H62110 /C-2/Water-1706/Kanpur

दिनांक

Date 4-6-2021

सेवा में,

पंजीकृत

प्रोजेक्ट मैनेजर,
मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि०,
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101(एफएफ)
कानपुर नगर।

विषय- वाजिदपुर जाजमऊ के सीईटीपी परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के टीईपी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत संयंत्र संचालनकर्ता संस्था मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० (सापुरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०), 3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानसार जाजमऊ कानपुर स्थित 36 MLD CETP के शोधित उत्प्रवाह को 130 MLD STP के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट पम्प हाउस (T.E.P.H.) के सम्प में प्रेषित किया जाता है जोकि 130 MLD STP के शोधित सीवेज के साथ मिश्रित कर इरिगेशन चैनल को सम्प्रेषित किया जाता है। 130 MLD STP का संचालन दिनांक 01.03.2021 से मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० (सापुरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०), 3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर द्वारा किया जा रहा है। मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० द्वारा 130 MLD STP के मरम्मत कार्य सम्बन्धी सूचना/कार्ययोजना क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित नहीं गयी है एवं न ही सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त की गयी है। आख्यानसार T.E.P.H. पर स्थापित 11 नग पम्प में से मात्र 08 नग पम्प ही क्रियाशील अवस्था में है। 130 MLD STP व 36 MLD CETP से सम्प में प्रेषित सम्पूर्ण शोधित उत्प्रवाह को इरिगेशनल चैनल में पम्प न किये जाने के कारण सम्प में भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। Sluice Gate को आंशिक खोलकर एयरफोर्स नाले में उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने से, सम्प में अधिक भराव की स्थिति में Back Flow के कारण शोधित मिश्रित टैनरी उत्प्रवाह भी गंगा नदी में पहुँचना सम्भावित है। नियमित निरीक्षण में T.E.P.H. के सम्प से पूर्व स्थित Sluice Gate से शोधित सीवेज एयरफोर्स नाले में निस्तारित किये जाने एवं सी.एस.पी.एस. से अशोधित सीवेज बाईपास किये जाने, जोकि अन्ततः गंगा नदी में मिलता है, का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	दिनांक	टी.ई.पी.एच. से ओवरफ्लो/बाईपास	सी.एस.पी.एस० से ओवरफ्लो/बाईपास
1.	18.03.2021	हाँ	हाँ
2.	19.03.2021	हाँ	हाँ
3.	20.03.2021	हाँ	हाँ
4.	22.03.2021	हाँ	हाँ
5.	23.03.2021	हाँ	हाँ
6.	24.03.2021	हाँ	-
7.	25.03.2021	हाँ	-
8.	06.04.2021	हाँ	हाँ
9.	18.05.2021	हाँ	हाँ
10.	22.05.2021	हाँ	हाँ
11.	24.05.2021	-	हाँ
12.	25.05.2021	हाँ	हाँ
13.	27.05.2021	हाँ	हाँ
14.	28.05.2021	हाँ	हाँ
15.	29.05.2021	हाँ	हाँ
16.	31.05.2021	हाँ	हाँ
17.	01.06.2021	हाँ	हाँ
18.	02.06.2021	हाँ	हाँ
19.	03.06.2021	हाँ	हाँ

कुल 19 दिवसों में उल्लंघन पाया गया है जिन तिथियों में उत्प्रवाह का गंगा नदी में निस्तारण अवलोकित हुआ है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में उत्प्रवाह निरस्तारण रोके जाने हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिनांक 20.03.2021, 22.03.2021, 28.03.2021, 19.05.2021 व 01.06.2021 को पत्र प्रेषित किये गये हैं तथा बोर्ड मुख्यालय, के पत्र दिनांक 13.04.2021 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जिलाधिकारी महोदय, कानपुर द्वारा नगर आयुक्त, कानपुर, महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कानपुर तथा परियोजना प्रबन्धक, मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0) के साथ दिनांक 28.05.2021 को बैठक कर गंगा नदी में उत्प्रवाह निरस्तारण के सम्बन्ध में सतत निगरानी हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या 2654/एस.टी./2021 दिनांक 28.05.2021, प्रमुख सचिव, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को इस सम्बन्ध में संचालनकर्ता को उच्च स्तर से आवश्यक निर्देश हेतु प्रेषित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-118/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र $Penalty = PlxNxRxSxLF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 37500/- प्रतिदिन आती है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 18.03.2021 से 06.04.2021 के मध्य कुल 08 उल्लंघन दिवसों हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये (37500x8)=3,00,000/- तथा दिनांक 18.05.2021 से 03.06.2021 के मध्य कुल 11 उल्लंघन दिवसों को Repeated Violation मानते हुए Deterrent effect को सम्मिलित कर प्रतिदिन के आधार पर आगणित धनराशि को दो गुना कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये (37500x2x11)=8,25,000/- के अनुसार 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के विरुद्ध रुपये 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेष्य में वाजिदपुर, जाजमऊ के सी.ई.टी.पी. परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के टी.ई.पी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के विरुद्ध रुपये 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एरा0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं सम्बंधित अधिकारियों का होगा।

सी.ई.टी.पी. जाजमऊ परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस0टी0पी0 के टी.ई.पी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किया गया है जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 का उल्लंघन है। जिसके लिये संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के साथ जल अधिनियम की धारा-47 के अन्तर्गत संचालनकर्ता संस्था के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी उत्तरदायी हैं।

अतः यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न संचालनकर्ता संस्था एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-43/44 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण एक सप्ताह में बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में की गयी विधिक कार्यवाही हेतु संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

A

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से एस0टी0पी0 संचालक से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समयसीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, कानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

A

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, किभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com



51 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

3194⁵¹

संदर्भ सं०

Ref. No

H78513

/सी-श/जल - 1647 /शक्ति/22 दिनांक
Date 15-7-22

सेवा में,

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं० 101, प्रथम तल,
जनपद-कानपुर नगर।

पंजीकृत

विषय: मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 18.06.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित एयरफोर्स नाले के माध्यम से उत्प्रवाह को गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 09.06.2022 से दिनांक 17.06.2022 तक की अवधि में किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार जाजमऊ स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. एवं 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. का शोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किया गया है, जिससे गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जोकि पर्यावरण अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के पुनः निरीक्षण दिनांक 18.06.2022 को क्षतिग्रस्त राइजिंग मेन का मरम्मत कार्य पूर्ण कर संयंत्रों का संचालन सुचारु रूप से किया जाना पाया गया तथा उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होता नहीं पाया गया।

अतः 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. से सम्बद्ध टी.ई.पी.एच. का शोधित/अशोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी संस्था पर 09 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं० 9 का अंश निम्नलिखित है-

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र $Penalty = P \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 37,500/- (रु० सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें P (Pollution index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Penalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानानुसार दिनांक 09.06.2022 से दिनांक 17.06.2022 तक 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का शोधित/अशोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत 09 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल रु० 3,37,500/- (तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।


- 2 -

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com


उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू० 3,37,500/- (तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।


सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।
3. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)





53

3196⁵³

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. 184436 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक

Date 29.12.2022

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.11.22	7.9	147.0	202.0
2	11.11.22	7.92	138.0	202.0
3	19.11.22	8.06	60.0	86.0
4	25.11.22	7.49	34.5	78.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomi Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	22 Days (From 04.11.22 to 25.11.22)	22	1.5	1.25	8,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन की अवधि हेतु रू० 8,25,000/- (रू० आठ लाख पचीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एन०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ संख्या

Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- दिसम्बर-2022 - जनवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.12.22	7.96	64.5	64.0
2	30.12.22	7.59	54.0	53.0
3	03.01.23	7.73	48.0	46.0
4	09.01.23	7.75	57.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S. (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	17 Days (From 24.12.22 to 09.01.23)	17	1.5	1.25	6,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 6,37,500/- (रू0 छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

3200

संदर्भ सं०
Ref... 190123 / UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक
Date 01/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-2023-फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	09.01.23	7.75	57.0	64.0
2	20.01.23	7.99	45.0	66.0
3	23.01.23	7.98	51.0	58.0
4	30.01.23	7.83	48.0	68.0
5	10.02.23	7.80	75.0	84.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विष्णु खण्ड, गोगती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	32 Days (From 10.01.23 to 10.02.23)	32	1.5	1.25	12,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन की अवधि हेतु रू0 12,00,000/- (रू0 बारह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref./C/90/24/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date 10/03/23

पंजीकृत

शेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

माहोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिरूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। तमस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रवचन निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल नियम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.02.23	7.80	75.0	84.2
2	17.02.23	7.99	51.0	76.0
3	20.02.23	8.12	57.0	98.6
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विष्णु खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	10 Days (From 11.02.23 to 20.02.23)	10	1.5	1.25	3,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन की अवधि हेतु रू० 3,75,000/- (रू० तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रावह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रावह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्जूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रावह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रावह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	20.02.23	8.12	57.0	98.6
2	27.02.23	8.19	48.0	98.2
3	10.03.23	8.08	40.0	87.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अपधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010

Phone

: 0522-2720831, 2720828

Fax

: 0522 - 2720764

Email

: info@uppcb.com

Web Site

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	18 Days (From 21.02.23 to 10.03.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू० 6,75,000/- (रू० छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०
Ref: 193397/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

63 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

3206⁶³

दिनांक
Date: 11/05/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

- विषय: 130 एस०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82054/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/चाल्यूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	17.04.23	8.01	48.0	84.0
2	28.04.23	8.20	42.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	21 Days (From 11.03.23 to 31.03.23)	21	1.5	1.25	787500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन की अवधि हेतु रू0 787500/- (रू0 सात लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाला

o/c
A/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

3208⁶⁵

संदर्भ क्र०
Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date: 18-4-23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये है। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.03.23	8.08	40.0	87.0
2	17.03.23	8.1	45.0	108.4
3	24.03.23	7.93	48.0	174.0
4	27.03.23	8.06	57.0	168.0
5	31.03.23	7.47	54.0	134.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	11 Days (From 18.04.23 to 28.04.23)	11	1.5	1.25	4,12,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 412500 /- (रू0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c




उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

3210⁶⁷

संदर्भ सं०
Ref. 194627/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date 30/05/23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.04.23	8.20	42.0	74.0
2	01.05.23	7.54	45.0	78.0
3	12.05.23	7.92	39.0	58.0
4	15.05.23	7.85	42.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	17 Days (From 29.04.23 to 15.05.23)	17	1.5	1.25	6,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 29.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 637500/- (रू0 छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

D/c
Spec
30.05.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date: 19.6.23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	15.05.23	7.85	42.0	68.0
2	22.05.23	7.85	36.0	50.0
3	29.05.23	7.77	42.0	68.0
4	02.06.23	7.87	39.0	67.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,
लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	18 Days (From 16.05.23 to 02.06.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार रांदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 675000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रमारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
19/6/2023



संदर्भ सं०

Ref: 19/12/23 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 19/12/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/बहिरत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के वृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.06.23	7.87	39.0	67.0
2	09.06.23	7.98	33.0	68.0
3	12.06.23	7.52	30.0	38.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.06.2023 से 11.06.2023 में कुल 09 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (In Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	09 Days (From 03.06.23 to 11.06.23)	09	1.5	1.25	3,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 03.06.2023 से 11.06.2023 में कुल 09 दिन की अवधि हेतु रू0 337500/- (रू0 तीन लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्ता किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्ता धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c श्री
19/7/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref. Ho.3930 / UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date 12/11/23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/पहिस्त्राय निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के पृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जगित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा0/ली0)
1	10.11.2023	7.86	36.0	62.0
2	14.11.2023	7.94	18.0	42.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.11.2023 से 13.11.2023 में कुल 04 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	4 days (10.11.23 to 13.11.23)	4	1.5	1.25	1,50,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.11.2023 से 13.11.2023 में कुल 04 दिन की अवधि हेतु रू0 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

केन्द्रीय
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रमारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

म/क
12-12-23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2287490000.

विषय: 130 एमओएलओडी, एसटीपी जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिसत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसटीपी के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एसटीपी/सीओएल/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एसटीपी से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उओप्र जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एसटीपी के शोषन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एसटीपी पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एसटीपी के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल-2024 में उक्त संदर्भित एसटीपी के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पीएच०	बीओडी (मिग्रा०/ली०)	सस्पेंडेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.04.2024	8.02	81.0	316.0
2	09.04.2024	7.92	54.0	324.0
3	16.04.2024	7.96	51.0	112.0
4	23.04.2024	8.07	48.0	106.2
5	30.04.2024	8.00	51.0	98.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एसटीपी के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 02.04.2024 से 30.04.2024 में कुल 29 दिन एसटीपी से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खन्ड, गौमती नगर,
लखनऊ-226010 Lucknow - 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unnch.com Web Site : www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajman, Kanpur	29 days (02.04.24 to 30.04.24)	29	1.5	1.25	10,87,500/-

अंतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 02.04.2024 से 30.04.2024 में कुल 29 दिन की अवधि हेतु रू० 10,87,500/- (रू० दस लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी०से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
AFC
24.05.24

Mohtash
29.05.24

24/5/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या: UP/PCB/CL/569/STP&CETP-EC/24



दिनांक: 4-7-24

पंजीकृत

सेवा में,

नेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी मालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एस0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/बहिरत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई से जून 2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा0/ली0)
1	30.04.2024	8.00	51.0	98.0
2	07.05.2024	7.89	42.0	126.0
3	14.05.2024	7.96	45.0	92.0
4	21.05.2024	7.84	48.0	86.0
5	28.05.2024	7.89	42.0	60.0
6	04.06.2024	7.69	40.5	68.0
7	11.06.2024	7.72	57.0	76.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 01.05.2024 से 11.08.2024 में कुल 42 दिन एस0 टी0 पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.in
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है—

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	42 Days (From 01.05.24 to 11.06.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 15,75,000 /- (रू0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेंट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेंट गेटवे के होम पेज के द्राफ्टाउटन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें—

1. Nature of Pollutin/प्रदूषण की प्रकृति – Water Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय – Kanpur
3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया – UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मन्दीरा
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
03/07/24 03.07.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: A16236/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 27/08/24
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(साापुरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्राभीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जून से अगस्त 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	11.06.2024	7.72	57.0	76.0	84000
2	17.06.2024	7.82	51.0	86.0	120000
3	25.06.2024	7.76	48.0	64.0	84000
4	02.07.2024	7.98	42.0	58.0	110000
5	09.07.2024	8.02	46.5	42.0	120000
6	16.07.2024	7.80	45.0	52.0	140000
7	23.07.2024	7.98	51.0	54.0	130000
8	30.07.2024	8.10	45.0	48.0	130000
9	06.08.2024	8.01	48.0	112.0	150000
10	13.08.2024	7.82	51.0	60.0	170000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720675
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.in
WebSite : www.uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन एस0 टी0 पी0 से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	63 Days (From 12.06.24 to 13.08.24)	63	1.5	1.25	23,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन की अवधि हेतु रू0 23,62,500/- (रू0 तेईस लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


भवदीय

 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c

 27/08/24 23.08.24 27.8.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मेक्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000

विषय: 130 एमएलडी0 एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिरनाव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82864/एस0टी0पी0/सी0एल0/238/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्राव को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निर्देशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अगस्त से सितम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्राव की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)	फीकल कोलीफॉर्म (एम0पी0एन0/100 मि0ली0)
1	13.08.2024	7.82	51.0	60.0	170000
2	20.08.2024	7.91	48.0	54.0	130000
3	27.08.2024	7.88	42.0	34.0	120000
4	03.09.2024	7.96	39.0	36.0	79000
5	10.09.2024	7.84	69.0	128.0	94000
6	17.09.2024	7.92	72.0	48.0	140000
7	24.09.2024	7.94	69.0	52.0	94000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-8.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्राव के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्राव मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वीं, विभूति खान, गौती नगर,
लखनऊ- 226010
फ़ोन 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gouti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.in
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Injamt, Kanpur	42 Days (From 14.08.24 to 24.09.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रु0 15,75,000/- (रु0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकंटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति – Water Pollution
2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय – Kanpur
3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया – UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मन्दीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एरा0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
22/10/24 (19),
22-10-24
22/10/24
ASD
22/10/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 11-12-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिरत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये है। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	12.11.2024	7.88	48.0	48.0	82000
2	19.11.2024	7.79	42.0	60.0	79000
3	26.11.2024	7.81	37.5	60.0	94000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522-2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.in

वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.in

WebSite : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	14 Days (From 13.11.24 to 26.11.24)	14	1.5	1.25	5,25,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन की अवधि हेतु रू0 5,25,000/- (रू0 पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - | Water Pollution |
| 2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - | Kanpur |
| 3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


भवदीय


प्रभारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 2 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


प्रभारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C

11/12/24


11/12/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक:

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- सितम्बर से नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में, विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	24.09.2024	7.94	69.0	52.0	94000
2	01.10.2024	7.88	72.0	68.0	70000
3	08.10.2024	8.00	39.0	52.0	140000
4	15.10.2024	7.94	42.0	78.0	120000
5	22.10.2024	8.00	36.0	88.0	110000
6	29.10.2024	7.91	42.0	84.0	94000
7	05.11.2024	7.96	45.0	48.0	79000
8	12.11.2024	7.88	48.0	48.0	82000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 25.09.2024 से 12.11.2024 में कुल 49 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajman, Kanpur	49 Days (From 25.09.24 to 12.11.24)	49	1.5	1.25	18,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 25.09.2024 से 12.11.2024 में कुल 49 दिन की अवधि हेतु रू0 18,37,500/- (रू0 अठारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति -
2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय -
3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया -

Water Pollution
Kanpur
UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

प्रभारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
25/11/24
25/11/24
25/11/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



3230 87

संदर्भ संख्या :

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 11-12-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिरत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये है। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	12.11.2024	7.88	48.0	48.0	82000
2	19.11.2024	7.79	42.0	60.0	79000
3	26.11.2024	7.81	37.5	60.0	94000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.in
WebSite : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	14 Days (From 13.11.24 to 26.11.24)	14	1.5	1.25	5,25,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन की अवधि हेतु रू0 5,25,000/- (रू0 पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - | Water Pollution |
| 2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - | Kanpur |
| 3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


भवदीय


प्रभारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 2 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


प्रभारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C

11/12/24


11/12/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref: 186435 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक
Date: 29-12-2022
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्यूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.11.22	7.9	147.0	202.0
2	11.11.22	7.92	138.0	202.0
3	19.11.22	8.16	57.0	82.0
4	25.11.22	8.2	42.0	86.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com

AEE(F) SA
10/11/23

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau Kanpur	22 Days (From 04.11.22 to 25.11.22)	22	0.5	1.25	2,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन की अवधि हेतु रू0 2,75,000/- (रू0 दो लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विगूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3234⁹¹

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref..... UPPCB/CL/S69/STP&CETP-EC/22

दिनांक
Date 12/23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- दिसम्बर-2022 - जनवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.12.22	8.23	39.0	49.0
2	30.12.22	7.68	39.0	47.0
3	03.01.23	7.72	42.0	36.0
4	09.01.23	7.94	42.0	46.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोगली नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau Kanpur	17 Days (From 24.12.22 to 09.01.23)	17	0.5	1.25	2,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 2,12,500/- (रू0 दो लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3236⁹³

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 1190/17
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक 1-3-23
Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(साफरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/बहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-2023-फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेंडेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	09.01.23	7.94	42.0	46.0
2	20.01.23	8.15	42.0	62.0
3	23.01.23	7.92	51.0	56.0
4	30.01.23	7.75	51.0	46.0
5	10.02.23	7.59	60.0	54.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोगली नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	32 Days (From 10.01.23 to 10.02.23)	32	0.5	1.25	4,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन की अवधि हेतु रू0 4,00,000/- (रू0 चार लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रमारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref: 490423/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date: 10/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(साफरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निर्देशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी ऑपरेटर/विभाग का होगा।

नाह- फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.02.23	7.59	60.0	54.2
2	17.02.23	7.68	48.0	67.4
3	20.02.23	7.76	60.0	73.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-8.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

A50
AEE(F)

18/3/23

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	10 Days (From 11.02.23 to 20.02.23)	10	0.5	1.25	1,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन की अवधि हेतु रू0 1,25,000/- (रू0 एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 ✓ क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रनारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं० 569/523
Ref:..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक 5-4-23
Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्थूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	20.02.23	7.76	60.0	73.0
2	27.02.23	7.9	42.0	72.4
3	10.03.23	7.89	57.0	72.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

पी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	18 Days (From 21.02.23 to 10.03.23)	18	0.5	1.25	2,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रु0 2,25,000/- (रु0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3242⁹⁹

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date: 18-4-23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.03.23	7.89	57.0	72.0
2	17.03.23	7.96	42.0	96.0
3	24.03.23	7.88	45.0	52.0
4	27.03.23	7.91	54.0	66.0
5	31.03.23	7.61	51.0	52.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522-2720764, 2720676

ई-मेल info@uppecb.com

वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522-2720764

Email : info@uppecb.com

Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	21 Days (From 11.03.23 to 31.03.23)	21	0.5	1.25	262500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन की अवधि हेतु रू0 262500 /-(रू0 दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

101
3244

संदर्भ सं०

Ref. # 192596/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date 25/4/2023

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	31.03.23	7.61	51.0	52.0
2	06.04.23	7.51	42.0	52.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 08 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmou, Kanpur	06 Days (From 01.04.23 to 06.04.23)	6	0.5	1.25	75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन की अवधि हेतु ₹0 75000/- (₹0 पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/c
A/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3246¹⁰³

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. 11.9.2295 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date 11.05.2023

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	17.04.23*	7.90	51.0	52.0
2	28.04.23	8.09	51	90.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720675
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	11 Days (From 18.04.23 to 28.04.23)	11	0.5	1.25	1,37,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 137500 /- (रू0 एक लाख सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
D/...



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date: 19-6-23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	15.05.23	7.73	36.0	63.0
2	22.05.23	7.41	45.0	54.0
3	29.05.23	8.01	45.0	70.2
4	02.06.23	7.83	42.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	18 Days (From 16.05.23 to 02.06.23)	18	0.5	1.25	2,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 225000/- (रू0 दो लाख पचीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनिगन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c Jt
19/6/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref No. 1997/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date 19/7/23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.06.23	7.83	42.0	68.0
2	09.06.23	8.06	42.0	42.6
3	12.06.23	8.04	39.0	36.0
4	16.06.23	8.45	46.0	34.0
5	19.06.23	7.56	42.0	48.2
6	23.06.23	7.64	39.0	54.0
7	26.06.23	7.49	36.0	52.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-8.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.06.2023 से 26.06.2023 में कुल 24 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (In Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	24 Days (From 03.06.23 to 26.06.23)	24	0.5	1.25	3,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एन0बी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 03.06.2023 से 26.06.2023 में कुल 24 दिन की अवधि हेतु रू0 300000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भयदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 ग्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c St.
19/7/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref: (97)987.. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date ...20/7/2023

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -जून एवं जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	26.06.23	7.49	36.0	62.0
2	03.07.23	8.19	45.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 में कुल 07 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	07 Days (From 27.06.23 to 03.07.23)	07	0.5	1.25	87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 में कुल 07 दिन की अवधि हेतु रू० 87500/- (रू० सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

ok
20/11/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

111
3254

संदर्भ सं०
Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date: 28/07/23

पंजीकृत

सेवा में,
परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82854/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	03.07.23	8.19	45.0	74.0
2	10.07.23	7.68	48.0	67.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 04.07.2023 से 10.07.2023 में कुल 07 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

लखनऊ-226010 Lucknow - 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com Web Site : www.uppcb.com

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764


Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	07 Days (From 04.07.23 to 10.07.23)	7	0.5	1.25	87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 04.07.2023 से 10.07.2023 में कुल 07 दिन की अवधि हेतु रू0 87500/- (रू0 सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

पक
पक



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H99461

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date 16-8-23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उओप्रओ जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एमओएलडी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निर्देशक (नगरीय), उओप्रओ जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संवाहन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रयातकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा0/ली0)
1	10.07.23	7.68	48.0	67.0
2	17.07.23	7.66	48.0	58.0
3	21.07.23	7.79	42.0	52.0
4	28.07.23	7.91	42.0	52.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.07.2023 से 28.07.2023 में कुल 18 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow- 226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com

S. No.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	18 Days (From 11.07.23 to 28.07.23)	18	0.5	1.25	2,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.07.2023 से 28.07.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 225000/- (रू0 दो लाख पचीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का राक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं. 1999-78
Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक 28/8/23
Date: 28/8/23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई एवं अगस्त 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिथा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिथा०/ली०)
1	28.07.23	7.91	42.0	52.0
2	04.08.23	7.31	45.0	64.0
3	07.08.23	7.60	45.0	52.0
4	11.08.23	7.87	48.0	68.0
5	14.08.23	8.1	45.0	66.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.07.2023 से 14.08.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अगति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	17 Days (From 29.07.23 to 14.08.23)	17	0.5	1.25	2,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 29.07.2023 से 14.08.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 212500/- (रू0 दो लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनिशन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

o/c Jt
28/08/2023


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 1400548
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date ...11/09/23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82854/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्जूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्राव को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी ऑपरेटर/विभाग का होगा।

माह - अगस्त 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्राव की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	14.08.23	8.10	45.0	66.0
2	18.08.23	7.52	39.0	66.0
3	21.08.23	7.29	45.0	62.0
4	25.08.23	7.86	42.0	68.0
5	28.08.23	7.67	45.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्राव के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 15.08.2023 से 28.08.2023 में कुल 14 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्राव मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाक्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खन्ड, गमती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jainau, Kanpur	14 Days (From 15.08.23 to 28.08.23)	14	0.5	1.25	1,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 15.08.2023 से 28.08.2023 में कुल 14 दिनकी अवधि हेतु रू० 175000/- (रू० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अक्षिप्त

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निर्देशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी०से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

b/c
11.08.23



संदर्भ सं०

Ref. No. 101131

UPPCB/CL/569/STP&CCTP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date ... 2.2.23 / 13

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एस०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्राव को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - अगस्त एवं सितम्बर- 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्राव की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.08.23	7.67	45.0	68.0
2	05.09.23	8.09	42.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्राव के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.08.2023 से 05.09.2023 में कुल 08 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्राव मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (In Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	08 Days (From 29.08.23 to 05.09.23)	08	0.5	1.25	1,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 29.08.2023 से 05.09.2023 में कुल 08 दिन की अवधि हेतु रू0 100000/- (रू0 एक लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनिचन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701602010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन में अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

प्रवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

OK
22.09.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ क्र. 10/538
Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक 5/10/23
Date

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चुम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -सितम्बर- 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विरलेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	05.09.23	8.09	42.0	68.0
2	11.09.23	8.06	42.0	68.0
3	18.09.23	7.98	48.0	73.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 06.09.2023 से 18.09.2023 में कुल 13 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	13 Days (From 06.09.23 to 18.09.23)	13	0.5	1.25	1,62,500

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 06.09.2023 से 18.09.2023 में कुल 13 दिन की अवधि हेतु रू0 162500/- (रू0 एक लाख बाल्ट हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-LBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


3

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/c
05.10.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं० H02334
Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date 26-10-23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर। 94-73 94-274।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संवर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये है। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज का गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - सितम्बर एवं अक्टूबर 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	18.09.23	7.98	48.0	73.0
2	22.09.23	7.96	54.0	76.0
3	29.09.23	8.02	51.0	72.0
4	03.10.23	7.84	48.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 19.09.2023 से 03.10.2023 में कुल 15 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित माइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmaa, Kanpur	15 Days (From 19.09.23 to 03.10.23)	15	0.5	1.25	1,87,500

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एन0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमाऊ, कानपुर पर दिनांक 19.09.2023 से 03.10.2023 में कुल 15 दिन की अवधि हेतु रू0 1,87,500/- (रू0 एक लाख सत्तासी हजार पॉय सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के गूनिगन बैंक ऑफ इण्डिया, निमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भारतीय
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

c/c
Hansh
25/10/23
25.10.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref. H03929/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date 12/11/23
पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर। 9473942741.

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

गहोबय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्जूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्राव को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण बाबित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -अक्टूबर-नवम्बर 2023 में उक्तसंदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्राव की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०डी० (मिग्रा/ली०)	सस्पेंडेड सॉलिड (मिग्रा/ली०)
1	25.10.2023	7.62	39.0	72.0
2	07.11.2023	7.67	36.0	64.0
3	14.11.2023	7.67	48.0	68.0
4	20.11.2023	7.98	45.0	78.0
5	27.11.2023	7.86	48.0	66.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्राव के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 26.10.2023 से 27.11.2023 में कुल 33 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्राव मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, कृष्ति खण्ड, गोंगी नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	33 days (26.10.23-27.11.23)	33	0.5	1.25	4,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जलजमाऊ, कानपुर पर दिनांक 26.10.2023 से 27.11.2023 में कुल 33 दिन की अवधि हेतु रू0 4,12,500/- (रू0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूगियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिस्त

भवदीय

 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, इत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
 12-12-23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref: H06179/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date 24/01/24
पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर। 9473942741.

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजगऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82854/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्जूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-दिसम्बर 2023 में उक्तसंदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	27.11.2023	7.86	48.0	66.0
2	01.12.2023	8.12	42.0	62.0
3	05.12.2023	8.14	39.0	60.0
4	08.12.2023	7.96	45.0	54.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 28.11.2023 से 08.12.2023 में कुल 11 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा

निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	11 days (From 28.11.23 to 08.12.23)	11	0.5	1.25	1,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 28.11.2023 से 08.12.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 1,37,500/- (रू0 एक लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, दिग्भू खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पुत्ता-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

ol-
Hagbik



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रकल्पक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर। 9473942741.

विषय: 05 एम०एल०टी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्स-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के रोडन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-दिसम्बर 2023 से जनवरी 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	08.12.2023	7.96	45.0	54.0
2	15.12.2023	7.94	42.0	52.0
3	22.12.2023	8.09	45.0	60.0
4	29.12.2023	7.96	43.0	62.0
5	05.01.2024	8.04	42.0	52.0
6	12.01.2024	7.94	51.0	72.0
7	19.01.2024	8.16	42.0	52.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गुमती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gouti Nagar
Lucknow - 226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्राह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 09.12.2023 से 19.01.2024 में कुल 42 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्राह मानकों के अनुरूप निस्सारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P x N x R x S x LF
1	3 MLD, Jajman, Kanpur	42 days (From 09.12.23 to 19.01.24)	42	0.5	1.25	5,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 09.12.2023 से 19.01.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 5,25,000/- (रू0 पांच लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्षा मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

महदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इरा आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/c
12.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref. 708452 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

Date 19-3-24
पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
कानपुर। 9473942741.

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये है। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-फरवरी-2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	19.01.2024	8.16	42.0	62.0
2	27.01.2024	8.06	42.0	66.0
3	02.02.2024	8.02	39.0	54.0
4	09.02.2024	8.20	51.0	68.0
5	16.02.2024	8.22	42.0	72.0
6	23.02.2024	8.28	42.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 20.01.2024 से 23.02.2024 में कुल 35 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	35 Days (From 20.01.24 to 23.02.24)	35	0.5	1.25	4,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 20.01.2024 से 23.02.2024 में कुल 35 दिन की अवधि हेतु रू0 4,37,500/- (रू0 चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
Hemksh. Jha
18.03.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर सं०
Ref. No.

467/595/सी-2/जल-1706/21

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स कानपुर रीवर मैनेजमेंट प्रा० लि०,
3/83, विष्णुपुरी, प्लेट नं० 101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय- कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा शोधित उत्स्रवाह में प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत मै० कानपुर रीवर मैनेजमेंट प्रा० लि०, 3/83, विष्णुपुरी, प्लेट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के पत्र सं० 1103/एस-658/21 दिनांक 06.10.21 द्वारा प्राप्त आख्यानसार कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का अनुश्रवण कार्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों में किया गया तथा अनुश्रवण के समय एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह का नमूना एकत्र किया गया एवं विश्लेषण आख्यानसार निम्नलिखित तिथियों में एकत्रित नमूनों में प्रचालकों का मान निर्धारित मानक से अधिक पाया गया है:-

ANALYSIS REPORT OF BINGAWAN 210MLD STP						
S.NO	Date	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Achieving Standard
1	2/3/2021	7.32	37.5	130	82	NO
2	8/3/2021	7.23	45	180	84	NO
3	16/3/2021	7.49	45	140	84	NO
4	22/3/2021	7.48	37.5	140	76	NO
5	1/4/2021	7.96	39	160	80	NO
6	6/4/2021	7.72	42	160	78	NO
7	13/4/2021	7.69	39	150	76	NO
8	19/4/2021	7.86	36	240	96	NO
9	27/4/2021	7.95	39	150	78	NO
10	12/5/2021	8.16	36	140	84	NO
11	17/5/2021	7.86	37.5	150	80	NO
12	24/5/2021	7.62	39	160	78	NO
13	1/6/2021	7.98	39	180	82	NO
14	9/6/2021	7.57	42	200	86	NO
15	21/6/2021	7.23	42	220	76	NO
17	28/6/2021	7.82	39	180	76	NO
18	5/7/2021	7.74	42	160	82	NO
19	15/7/2021	7.81	48	160	78	NO
20	19/7/2021	7.84	45	160	76	NO
21	26/7/2021	7.32	42	120	78	NO
22	3/8/2021	7.36	45	120	86	NO
23	10/8/2021	NON - OPERATIONAL.				
24	16/8/2021	7.67	45	160	80	NO
25	25/8/2021	7.86	48	180	84	NO
26	31/8/2021	7.22	45	180	76	NO
27	8/9/2021	7.88	-	200	80	-
28	13/9/2021	7.55	-	270	56	-
29	21/09/2021	7.25	-	180	58	-

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gombi Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.com

Website : www.uppcb.com

-2-

उपरोक्त वर्णित दिनांकों में 210 एमएलडी एस0टी0पी0 विनगमां द्वारा शोधित उत्प्रवाह में वी0ओ0डी0 प्रचालक का मान बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रचालकों के अनुरूप नहीं पाया गया है तथा निरीक्षण दिनांक 10.08.2021 को एस0टी0पी0 संचालित नहीं पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा उत्तरवाही संस्था के विरुद्ध ओ0ए0 रां0-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु तैयार की गयी मार्गदर्शिका के आधार पर दिनांक 02.03.2021 से 09.08.2021 तक तथा दिनांक 11.08.2021 से 31.08.2021 तक कुल 181 दिवसों के उल्लंघन हेतु एस0टी0पी0 संचालक मैसर्स कानपुर रीवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के विरुद्ध रूपये 45,25,000/- (पैंतालिस लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत मैसर्स कानपुर रीवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर पर कुल रू0 45,25,000/- (पैंतालिस लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

OLC



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ क्र. /
Ref. No.

H175C/2022

सेवा में

मेसर्स कानपुर सिवर मैनेजमेंट प्रा० लि०,
3/83, विष्णुपुरी फ्लैट नं० 101, प्रथम तल,
जनपद-कानपुर नगर।

दिनांक

Date 13.5.22

पंजीकृत

विषय: कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा शोधित उत्प्रावह में प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत मेसर्स कानपुर सिवर मैनेजमेंट प्रा० लि०, 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 21.04.2022 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अनुश्रवण कार्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों में किया गया तथा अनुश्रवण के समय एर०टी०पी० से शोधित उत्प्रावह का नमूना एकत्र किया गया एवं विश्लेषण आख्यानानुसार निम्नलिखित तिथियों में एकत्रित नमूनों में प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है:-

ANALYSIS REPORT OF BINGAWAN 210MLD STP						
S.NO	Date	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Achieving Standard
1	15.11.2021	7.84	45	200	66	NO
2	22.11.2021	7.96	48	180	66	NO
3	01.12.2021	8.12	42	220	116	NO
4	07.12.2021	7.96	48	180	68	NO
5	14.12.2021	7.49	52	240	64	NO
6	21.12.2021	7.64	54	260	72	NO
7	27.12.2021	7.74	48	220	62	NO
8	03.01.2022	7.96	51	180	60	NO
9	11.01.2022	8.26	45	160	66	NO
10	17.01.2022	7.87	42	240	64	NO
11	22.01.2022	7.82	48	180	76	NO
12	24.01.2022	7.91	54	160	92	NO
13	29.01.2022	7.89	42	220	68	NO
14	31.01.2022	7.69	38	180	62	NO
15	04.02.2022	8.19	45	220	86	NO
16	08.02.2022	7.94	51	190	88	NO
17	11.02.2022	7.86	48	200	74	NO
18	14.02.2022	7.76	51	180	66	NO
19	18.02.2022	7.80	48	210	72	NO
20	21.02.2022	7.64	48	220	66	NO
21	25.02.2022	7.49	54	240	76	NO
22	02.03.2022	7.58	42	180	64	NO
23	07.03.2022	7.46	45	160	58	NO
24	15.03.2022	7.52	48	140	68	NO
25	21.03.2022	7.84	48	220	64	NO
26	28.03.2022	7.69	36	180	66	NO
27	05.04.2022	7.96	48	220	64	NO
28	13.04.2022	7.84	51	180	58	NO

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष 0522-2720828, 2720831

फैक्स 0522-2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.in

वेबसाइट www.uppcb.com

AEEG/SACA
Chetan
26/05/2022

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com

उपरोक्त दिनांक दिनांको में 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 विनयका द्वारा शोधित लखनऊ में सी0ओ0डी0 प्रचालक उ0एन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं पाया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 21.04.2022 द्वारा ओ0एन सं0-115/2014 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2019 के अनुपालन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अंकलन हेतु तैयार की गयी पर्यावरणिक के आधार पर दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 13.04.2022 को मध्य कुल 150 दिवसों के उल्लंघन हेतु एस0टी0पी0 संचालक सरथा मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0लि0, 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध रू0 25,000/- प्रतिदिन की दर से कुल 150 दिवस के उल्लंघन हेतु रू0 37,50,000/- (तीतीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित किये जाने की सस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0लि0, 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू0 37,50,000/- (तीतीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिशोधित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0एन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनिजन बैंक ऑफ इण्डिया, दिवा लखनऊ, गोकरी नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता नं0-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का सक्षम क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामो का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-2

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0एन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।
3. लेखा प्रभारी, उ0एन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का निवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-2



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ क्र. / No. 17/335/सी-2/जल-1706/क्षतिपूर्ति/कानपुर/22

दिनांक / Date 17/6/22

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा0लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0लि0)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं0 101, प्रथम तल,
जनपद-कानपुर नगर।

विषय: मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा0लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0लि0), 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 23.05.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 20.05.2022, 21.05.2022, 22.05.2022 एवं 23.05.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का संचालन बन्द पाया तथा अशोधित उत्स्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित किया जाता पाया गया। लॉगबुक रिकार्ड के अनुसार दिनांक 19.05.2022 को प्रातः 06:10 बजे से सायं 07:50 बजे तक तथा रात्रि 11:00 बजे से विद्युत बाधित होने तथा डी.जी. सेट का संचालन न किये जाने के कारण एस.टी.पी. की समस्त इकाईयाँ यथा बार स्क्रीन, थिड चैम्बर, डायजेस्टर, रियेक्टर, एरियेशन टैंक, बेल्ड फिल्टर प्रेस इत्यादि बन्द पायी गयी। क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 23.05.2022 को भी विद्युत बाधित होने के कारण पूर्वान्ह 11:30 बजे से अपरान्ह 01:55 बजे तक एस.टी.पी. का संचालन बन्द पाया, तथा एस.टी.पी. का अशोधित उत्स्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित होता पाया गया, जिससे पाण्डु नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जोकि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 23.05.2022 को अपरान्ह 01:55 बजे से कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के सयंत्रों का पूर्ण संचालन किया जाना पाया तथा उत्स्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित होता नहीं पाया गया।

अतः कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से अशोधित उत्स्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी संस्था पर 05 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के विन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है-

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$ के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ₹0 37,500/- (₹0 सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution Index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Penalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानानुसार दि0 19.05.2022 से दि0 23.05.2022 तक कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से अशोधित उत्स्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत 05 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल ₹0 1,87,500/- (एक लाख सत्तासी हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

.....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

-2-

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त इकाई गैसार्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0लि0), 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू0 1.87.500/- (एक लाख सत्तारसी हजार पाँच सौ रुपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कं, गूनिगन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अतिमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।
3. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सं. 110
Ref.....

UPPCB/CL/549/STP&CETP-EC/22

दिनांक 9/12/22
Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी मालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अनिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयून-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्राव को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित माइक्रोलाइनस के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-अक्टूबर-2022 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्राव की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	07.10.2022	7.83	57.0	48.0
2	11.10.2022	7.89	51.0	36.0
3	17.10.2022	7.74	51.0	32.0
4	28.10.2022	7.88	64.5	48.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्राव के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 07.10.2022 से 30.10.2022 में कुल 24 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्राव मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days (From 3rd of Oct, 2022 to 30th of Oct, 2022)	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) $EC = FI \times N \times R \times S \times LF$
1	210 MLD, Binsawan Kanpur	24 Days (From 07.10.2022 to 30.10.2022)	24	1.5	1.25	9,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 07.10.2022 से दिनांक 30.10.2022 तक कुल 24 दिन की अवधि हेतु रु0 9,00,000/- (रु0 नौ लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मिभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या- 701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का राहत मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय

RAM
GOPAL
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि

1. प्रबन्ध निदेशक (धानीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
3. सचिव सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस जाराय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गव में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

RAM
GOPAL
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाला

o/c
09.12.22



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. 1186478 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक
Date 29.12.2022

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/निगम का होगा।

माह-नवम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.11.22	8.01	55.5	39.0
2	11.11.22	7.78	39.0	42.0
3	18.11.22	7.39	57.0	84.0
4	25.11.22	7.72	45.0	76.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 31.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 26 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गेम्ती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.annch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gemti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720825
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.annch.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	26 Days (From 31.10.22 to 25.11.22)	26	1.5	1.25	9,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 31.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 26 दिन की अवधि हेतु रु० 9,75,000/- (रु० नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 ✓ क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref: 4869/32... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक
Date: 6/10/2023

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एस0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगावां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रावाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रावाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रावाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-दिसम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा0/ली0)
1	25.11.22	7.72	45.0	76.0
2	29.11.22	7.86	33.0	62.0
3	05.12.22	7.76	57.0	40.6
4	12.12.22	7.59	48.0	125.0
5	23.12.22	7.7	57.0	125.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 26.11.2022 से 23.12.2022 में कुल 28 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रावाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	28 Days (From 26.11.22 to 23.12.22)	28	1.5	1.25	10,50,000

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 26.11.2022 से 23.12.2022 में कुल 28 दिन की अवधि हेतु रू0 10,50,000/- (रू0 दस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

महोदय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
Jki
6/10/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref..... UPDCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक
Date 1-2-23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/पाल्यून-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- दिसम्बर-2022 - जनवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०स०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.12.22	7.7	57.0	125.0
2	31.12.22	7.36	42.0	54.0
3	03.01.23	7.33	48.0	42.0
4	12.01.23	7.49	51.0	154.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.12.2022 से 12.01.2023 में कुल 20 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (In Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingswan Kanpur	20 Days (From 24.12.22 to 12.01.23)	20	1.5	1.25	7,50,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 24.12.2022 से 12.01.2023 में कुल 20 दिन की अवधि हेतु रू0 7,50,000/- (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 16 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 1170/11C

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक

Date 13-3-23

संजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लेट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/बहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रवचन निदेशक (ग्राणीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-2023-फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	12.01.23	7.49	51.0	154.0
2	20.01.23	7.82	54.0	166.0
3	24.01.23	7.96	57.0	104.0
4	30.01.23	7.76	48.0	108.0
5	10.02.23	7.70	57.0	168.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 13.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 29 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोंगी नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khund, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uttarnpcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	29 Days (From 13.01.23 to 10.02.23)	29	1.5	1.25	10,87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० विनगवां, कानपुर पर दिनांक 13.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 29 दिन की अवधि हेतु रु० 10,87,500/- (रु० दस लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विनूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. 190421/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date 10/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एस0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्चुम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आवरेटर/विभाग का होगा।

मह फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच०	बी0ओ०डी० (मिग्राम/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्राम/ली०)
1	10.02.23	7.70	57.0	168.0
2	17.02.23	8.09	51.0	98.0
3	22.02.23	7.62	60.0	158.4
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-8.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के अभाव पर दिनांक 11.02.2023 से 22.02.2023 में कुल 12 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, किर्ति चण्ड, गोकुली नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	12 Days (From 11.02.23 to 22.02.23)	12	1.5	1.25	4,50,000/-


अतः सक्षम अधिकारी को अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी0 बिनगवा, कानपुर पर दिनांक 11.02.2023 से 22.02.2023 में कुल 12 दिन की अवधि हेतु रू0 4,50,000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के मुनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति ब्रह्म, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एल0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अतिकृत भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 पिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
10.03.23



संदर्भ सं. 9/586
Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक 5-4-23
Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रवन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	22.02.23	7.62	60.0	158.4
2	01.03.23	7.68	51.0	152.0
3	10.03.23	7.9	48.0	79.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 23.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 16 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विष्णु खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	16 Days (From 23.02.23 to 10.03.23)	16	1.5	1.25	6,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 23.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 16 दिन की अवधि हेतु रू० 6,00,000/- (रू० छः लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस०टी०पी० से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ क्र. 192/00

Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 18-4-23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.03.23	7.90	48.0	79.0
2	18.03.23	7.83	57.0	116.4
3	24.03.23	7.41	39.0	96.0
4	31.03.23	7.36	57.0	84.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppeb.com
वेबसाइट www.uppeb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppeb.com
Web Site : www.uppeb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	21 Days (From 11.03.23 to 31.03.23)	21	1.5	1.25	787500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन की अवधि हेतु रू0 787500/- (रू0 सात लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref. 192/592/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 25.04.23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/63, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एमओएलडी, एसटीपी बिनगावा, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राय निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसटीपी के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एसटीपी/सीओएल/235/2021-22/वाल्यूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एसटीपी से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उप्रओ जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एसटीपी के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एसटीपी पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एसटीपी के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एसटीपी के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पीएच	बीओडी (मिग्रा/ली)	सस्पेंडेड सॉलिड (मिग्रा/ली)
1	31.03.23	7.36	57.0	84.0
2	06.04.23	7.67	45.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एसटीपी के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन एसटीपी से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खन्ड, गोंगी नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppeb.com
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppeb.com
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingowan Kangur	06 Days (From 01.04.23 to 06.04.23)	6	1.5	1.25	2,25,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन की अवधि हेतु रु0 225000/- (रु0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का सक्षम मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

etc
Allee



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref: 193/49 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date: 5/5/23
03-5-23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एमओएलओडीओ, एसओटीओपीओ बिनगवा, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसओटीओपीओ) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसओटीओपीओ के शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एसओटीओपीओ/सीओएलओ/235/2021-22/वाल्डूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एसओटीओपीओ से जनित उत्स्राव के उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उओप्रओ जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एसओटीओपीओ के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एसओटीओपीओ पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एसओटीओपीओ के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एसओटीओपीओ के शोधित उत्स्राव की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पीओएचओ	बीओओडीओ (मिग्राओ/लीओ)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्राओ/लीओ)
1	06.04.23	7.67	45.0	68.0
2	14.04.23	7.59	63.0	96.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एसओटीओपीओ के शोधित उत्स्राव के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 07.04.2023 से 14.04.2023 में कुल 08 दिन एसओटीओपीओ से शोधित उत्स्राव मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विष्णु खण्ड, गौमी नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhati Khand, Gombi Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingsawan Kanpur	08 Days (From 07.04.23 to 14.04.23)	8	1.5	1.25	3,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी विनगवा, कानपुर पर दिनांक 07.04.2023 से 14.04.2023 में कुल 08 दिन की अवधि हेतु रु० 300000/- (रु० तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनिवर्सल बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एल०सी० कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

ok
Ramesh



संदर्भ सं०

Ref. 193398/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3302¹⁵⁹

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 11/05/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/दिभाग का होगा।

मह अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	14.04.23	7.59	63.0	96.0
2	26.04.23	7.56	58.5	114.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 15.04.2023 से 26.04.2023 में कुल 12 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	12 Days (From 15.04.23 to 26.04.23)	12	1.5	1.25	4,50,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 15.04.2023 से 26.04.2023 में कुल 12 दिन की अवधि हेतु रू0 450000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/c
D/...



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3304¹⁶¹

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. 1194629/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date 30-5-23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	26.04.23	7.56	58.5	114.2
2	02.05.23	7.40	60.0	132.0
3	12.05.23	7.72	66.0	96.0
4	15.05.23	7.54	57.0	128.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 27.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 19 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवाधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	19 Days (From 27.04.23 to 15.05.23)	19	1.5	1.25	7,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी0, एस0टी0पी0 बिनगावां, कानपुर पर दिनांक 27.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 19 दिन की अवधि हेतु रू0 712500/- (रू0 सात लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- न्तप्छ0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/c
Apeee
30.05.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-जून 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सातिड (मिग्रा0/ली0)
1	15.05.23	7.54	57.0	128.0
2	23.05.23	7.44	54.0	76.0
3	26.05.23	7.33	57.0	74.0
4	02.06.23	7.49	60.0	92.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100


उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	18 Days (From 16.05.23 to 02.06.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एन0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 675000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-न्टप्प0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रमारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

*O/c Jt
19/6/2023*



संदर्भ सं०

Ref/19794.h. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 19/7/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। रागरत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रयालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.06.23	7.49	60.0	92.0
2	09.06.23	7.63	57.0	220.4
3	13.06.23	7.62	60.0	48.6
4	16.06.23	7.60	51.0	42.0
5	23.06.23	7.61	54.0	56.0
6	27.06.23	7.69	51.0	66.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.06.2023 से 27.06.2023 में कुल 25 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	25 Days (From 03.06.23 to 27.06.23)	25	1.5	1.25	9,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवा, कानपुर पर दिनांक 03.06.2023 से 27.06.2023 में कुल 25 दिन की अवधि हेतु रू0 937500/- (रू0 नौ लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-NTF0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण-अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाला

o/c Jti
19/7/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. 197286 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date 20/11/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -जून एवं जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	27.06.23	7.69	51.0	66.0
2	04.07.23	8.16	48.0	86.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100


उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 28.06.2023 से 04.07.2023 में कुल 07 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	07 Days (From 28.06.23 to 04.07.23)	07	1.5	1.25	2,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी बिनगावां, कानपुर पर दिनांक 28.06.2023 से 04.07.2023 में कुल 07 दिन की अवधि हेतु रू० 262500/- (रू० दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-एन०५७०१५० में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

dc
20/7/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date: 28/7/23

पंजीकृत

सेवा में,

गेरार्त कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.07.23	8.16	48.0	86.0
2	11.07.23	7.89	51.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 05.07.2023 से 11.07.2023 में कुल 07 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गेम्ती नगर, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

संचालक-226010 Lucknow - 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com Web Site : www.uppcb.com

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingsawan Kanpur	07 Days (From 05.07.23 to 11.07.23)	7	1.5	1.25	2,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिंगवावा, कानपुर पर दिनांक 05.07.2023 से 11.07.2023 में कुल 07 दिन की अवधि हेतु रु0 262500/- (रु0 दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अनिवार्यता की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विनूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701602010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नप में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/c




उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref: 19946/PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date: 16/8/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राप निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना को माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सू-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई 2023में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सरस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	11.07.23	7.89	51.0	74.0
2	18.07.23	7.79	45.0	64.0
3	21.07.23	7.92	42.0	72.0
4	28.07.23	8.26	45.0	62.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 12.07.2023 से 28.07.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गेम्ती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gemti Nagar
Lucknow - 226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax :0522-2720764
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	17 Days (From 12.07.23 to 28.07.23)	17	1.5	1.25	6,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 12.07.2023 से 28.07.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु ₹637500/- (₹63 लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि को उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आईओएफओएसबी कोड UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उओप्रओ जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उओप्रओ जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

DL
DPL



संदर्भ सं०

Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोषित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोषित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई एवं अगस्त 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.07.23	8.26	45.0	62.0
2	01.08.23	7.52	42.0	64.0
3	08.08.23	7.73	39.0	64.0
4	11.08.23	8.06	42.0	66.0
5	15.08.23	7.49	48.0	62.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.07.2023 से 15.08.2023 में कुल 18 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	216 MLD, Singawan Karpur	18 Days (From 29.07.23 to 15.08.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 216 एमएलडी, एसटीपी बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 29.07.2023 से 15.08.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु ₹0 675000/- (₹0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनिशन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड - UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का वितरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

ok
29/08/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं. 100543
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक 11/08/23
Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82664/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्जूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी ऑपरेटर/विभाग का होगा।

माह-अगस्त 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	15.08.23	7.49	48.0	62.0
2	18.08.23	7.5	51.0	76.0
3	22.08.23	7.59	42.0	62.0
4	25.08.23	7.49	39.0	64.0
5	28.08.23	7.52	48.0	42.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 18.08.2023 से 28.08.2023 में कुल 13 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गौती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gouti Nagar
Lucknow - 226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
I	210 MLD, Bingawan Karpur	13 Days (From 16.08.23 to 28.08.23)	13	1.5	1.25	4,87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 16.08.2023 से 28.08.2023 में कुल 13 दिन की अवधि हेतु रू 487500/- (रु0चार लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विंगूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0670150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मय में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
11.09.23



संदर्भ सं०

Ref. 11011/32/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक

Date 22/09/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व नें प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आगरेटर/विभाग का होगा।

माह-अगस्त एवं सितम्बर- 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.08.23	7.52	48.0	42.0
2	05.09.23	8.02	45.0	76.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100


उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के अन्वय पर दिनांक 29.08.2023 से 05.09.2023 में कुल 08 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
I	210 MLD, Bingawan Kanpur	08 Days (From 29.08.23 to 05.09.23)	08	1.5	1.25	3,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 29.08.2023 से 05.09.2023 में कुल 08 दिन की अवधि हेतु रु० 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701602010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड -UBIN0570150 में 16 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


भवदीय


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c 
22.09.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date 5.10.23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), संप्रदाय जल नियम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -सितम्बर- 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	05.09.23	8.02	45.0	76.0
2	12.09.23	8.08	54.0	76.0
3	20.09.23	8.19	48.0	72.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-8.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 06.09.2023 से 20.09.2023 में कुल 15 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	15 Days (From 06.09.23 to 20.09.23)	15	1.5	1.25	5,62,500

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 06.09.2023 से 20.09.2023 में कुल 15 दिन की अवधि हेतु ₹ 5,62,500/- (₹ 5 पॉच लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड --UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

e/c
05.10.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं० 1102333
Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक
Date 26-10-23

संजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड),
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2087490000

विषय: 210 एस0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/बहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोषित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मागक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्थूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोषित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - सितम्बर एवं अक्टूबर 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा0/ली0)
1	20.09.23	8.19	48.0	72.0
2	22.09.23	7.89	39.0	66.0
3	29.09.23	7.86	42.0	64.0
4	03.10.23	7.94	45.0	66.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 21.09.2023 से 03.10.2023 में कुल 13 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Binguwan Karpur	13 Days (From 21.09.23 to 03.10.23)	13	1.5	1.25	4,87,500

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी विनगावा, कानपुर पर दिनांक 21.09.2023 से 03.10.2023 में कुल 13 दिन की अवधि हेतु रु० 4,87,500/- (रु० चार लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भारतीय
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रणारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C
Hemlata
25/10/23
25-10-23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref. No. 3325 / UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date 12/12/23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालगजी एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड),
3/83, लिष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एमएलडी, एसटीपीड बिनगावा, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपीड) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसटीपीड के शुद्धीकृत उत्स्राव हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एसटीपीड/सीएल/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एसटीपीड से जनित उत्स्राव को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निर्देशक (ग्रामीण), उओप्र जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एसटीपीड के शोषण उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एसटीपीड पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एसटीपीड के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/किमाग का होगा।

माह -अक्टूबर-नवम्बर 2023 में उक्त संवर्धित एसटीपीड के शोधित उत्स्राव की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पीएच०	बीओडी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	25.10.2023	7.67	42.0	64.0
2	03.11.2023	7.98	39.0	66.0
3	10.11.2023	7.86	39.0	66.0
4	17.11.2023	7.78	48.0	68.0
5	24.11.2023	8.06	45.0	76.0
6	29.11.2023	7.96	39.0	72.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एसटीपीड के शोधित उत्स्राव के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 26.10.2023 से 29.11.2023 में कुल 35 दिन एसटीपीड से शोधित उत्स्राव मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है-

टी.सी.-12वी, विभूति खन्ड, गोमती नगर
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720754, 2720675
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PF x N x R x S x LF
1	210 MLD, Ringwan Kanpur	35 days (25.10.23-29.11.23)	35	1.5	1.25	13,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी0 बिनगवा, कानपुर पर दिनांक 26.10.2023 से 29.11.2023 में कुल 35 दिन की अवधि हेतु ₹13,12,500/- (रु० तेरह लाख बारह हजार पैंच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनिजन बैंक ऑफ इण्डिया, विभागा खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

of
12-12-23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref: UPPCB/CL/S69/STP&CETP-EC/23

Date: 12-2-24
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालमजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड),
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2287490000.

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वडिस्ट्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निर्देशक (ग्राहण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

साइ-दिसम्बर 2023 से जनवरी 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	08.12.2023	7.82	48.0	68.0
2	15.12.2023	7.86	45.0	67.0
3	22.12.2023	7.96	48.0	64.0
4	29.12.2023	7.91	51.0	66.0
5	06.01.2024	8.10	48.0	58.0
6	12.01.2024	8.06	48.0	76.0
7	19.01.2024	8.25	45.0	64.0
8	23.01.2024	7.95	51.0	76.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

टोपी-12वी, विभूति खण्ड, गोंगी नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppecb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 8522 - 2720764
Email : info@uppecb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्सवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 09.12.2023 से 23.01.2024 में कुल 46 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्सवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अबधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	210 MLD Bingawan Kanpur	46 days (From 09.12.23 to 23.01.24)	46	1.5	1.25	17,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0. एस0टी0पी0 बिनगवा, कानपुर पर दिनांक 09.12.2023 से 23.01.2024 में कुल 46 दिन की अबधि हेतु रु0 17,25,000/- (रु0 सत्रह लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के सूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, दिनांक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या- 701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBINC0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदरय सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/6

 2.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

Date 19-3-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड),
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्गूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-फरवरी-2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.01.2024	7.95	51.0	76.0
2	30.01.2024	8.21	42.0	74.0
3	03.02.2024	7.94	39.0	58.0
4	09.02.2024	8.10	54.0	70.0
5	16.02.2024	8.12	48.0	60.0
6	23.02.2024	8.14	48.0	68.0
7	27.02.2024	8.14	51.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विरलेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.01.2024 से 27.02.2024 में कुल 35 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	35 Days (From 24.01.24 to 27.02.24)	35	1.5	1.25	13,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 24.01.2024 से 27.02.2024 में कुल 35 दिन की अवधि हेतु रू0 13,12,500/- (रू0 तेरह लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
Harshita
18.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संज्ञा सं.
Ref

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेरार्री कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापुराजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एसटीपीडी, एसटीपीडी विनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिक्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपीडी) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसटीपीडी के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82854/एसटीपीडी/सीएएल/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एसटीपीडी से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एसटीपीडी के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एसटीपीडी पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एसटीपीडी के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 में उक्त संदर्भित एसटीपीडी के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)
1	27.03.2024	8.14	51.0	64.0
2	05.03.2024	8.26	42.0	52.0
3	12.03.2024	8.19	45.0	74.0
4	18.03.2024	8.06	51.0	72.0
5	26.03.2024	8.19	48.0	76.0
6	02.04.2024	8.10	42.0	56.0
7	09.04.2024	7.94	51.0	61.0
8	16.04.2024	7.96	54.0	58.0
9	24.04.2024	8.14	48.0	56.0
10	30.04.2024	8.07	57.0	58.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

टी.सी.-12वीं, विष्णु नगर, गंगा नगर,
लखनऊ-226010 Lucknow-226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com Web Site : www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Ganga Nagar

Phone :0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 28.02.2024 से 30.04.2024 में कुल 63 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रावह मानकों के अनुरूप निस्सारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = P1 x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	63 Days (From 28.02.24 to 30.04.24)	63	1.5	1.25	23,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 28.02.2024 से 30.04.2024 में कुल 63 दिन की अवधि हेतु रू० 23,62,500/- (रू० तेईस लाख बांसठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरापित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभक्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का सत्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अचिकृत

राजदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सचिव गतौच, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

o/c

for
24-05-24
Handwritten
24-05-24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाला

for
24/5/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक:

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82854/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वात्पूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई से जून 2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	30.04.2024	8.07	57.0	58.0
2	07.05.2024	8.09	42.0	98.0
3	15.05.2024	7.98	54.0	88.0
4	21.05.2024	7.86	51.0	78.0
5	28.05.2024	7.98	48.0	66.0
6	05.06.2024	7.86	43.5	44.0
7	11.06.2024	8.04	48.0	56.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.in
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	42 Days (From 01.05.24 to 11.06.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी, एसटीपी बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू० 15,75,000/- (रू० पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यूआरएल: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेबीक्रेडिट एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के डाउनलोड में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollutin/प्रदूषण की प्रकृति - | Water Pollution |
| 2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - | Kanpur |
| 3. EC Imposed in Compliance/जनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

प्रक्रीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एसटीपी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
03/07/24 03-07-24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: P/16238/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 27/03/24
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/बहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु, मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जून से अगस्त 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	11.06.2024	8.04	48.0	66.0	81000
2	18.06.2024	8.10	51.0	62.0	170000
3	25.06.2024	8.10	45.0	64.0	170000
4	10.07.2024	7.94	51.0	58.0	120000
5	16.07.2024	7.89	60.0	64.0	140000
6	23.07.2024	7.89	54.0	68.0	170000
7	06.08.2024	7.84	45.0	56.0	110000
8	13.08.2024	7.79	39.0	44.0	170000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100	<1000

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.in
WebSite : www.uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्राह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्राह मानकों के अनुरूप निरस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	63 Days (From 12.06.24 to 13.08.24)	63	1.5	1.25	23,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन की अवधि हेतु रू० 23,62,500/- (रू० तेईस लाख बाराठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकेटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के डाउनलोड में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति - | Water Pollution |
| 2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय - | Kanpur |
| 3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनाार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनाार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c
27/08/24 22-08-24 21-8-24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या:

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 22/10/24
पंजीकृत

श्रीवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूर्णी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एमएलडी0 एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिराव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्यूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निर्देशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोषन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित की जायेगी, जिसका पूर्ण दाखिल संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

साह- अगस्त से सितम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच०	बी0ओ0डी0 (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सॉलिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी0एन०/100 मि०ली०)
1	13.08.2024	7.79	39.0	44.0	170000
2	20.08.2024	7.42	48.0	36.0	140000
3	27.08.2024	7.84	42.0	48.0	130000
4	03.09.2024	7.88	48.0	44.0	110000
5	10.09.2024	7.67	60.0	88.0	150000
6	17.09.2024	7.72	57.0	34.0	170000
7	24.09.2024	7.86	54.0	68.0	140000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-8.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गौमी नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppcb.in
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित माइक्रलाइन्स को अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingswan Kanpur	42 Days (From 14.08.24 to 24.09.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी को अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एमएलडी/दि. एलटीपीओ बिंगवान, कानपुर पर दिनांक 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रु० 15,75,000/- (रु० पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेंट गेटवे (यूआरएल: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेब्टीकॉन्टेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेंट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution.
2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भारतीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, तृता-2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एलटीपीओ से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

22/10/24
22/10/24
22/10/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं0-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- सितम्बर से नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0 / ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0 / ली0)	फीकल कोलीफार्म (एम0पी0एन0 / 100 मि0ली0)
1	24.09.2024	7.86	54.0	68.0	140000
2	01.10.2024	7.91	60.0	72.0	120000
3	15.10.2024	7.72	60.0	88.0	110000
4	22.10.2024	7.78	51.0	76.0	120000
5	29.10.2024	7.82	54.0	82.0	110000
6	05.11.2024	7.89	57.0	36.0	94000
7	12.11.2024	7.80	48.0	44.0	79000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 25.09.2024 से 12.11.2024 में कुल 49 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720576
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.in
WebSite : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	49 Days (From 25.09.24 to 12.11.24)	49	1.5	1.25	18,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 25.09.2024 से 12.11.2024 में कुल 49 दिन की अवधि हेतु रू0 18,37,500/- (रू0 अठारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकेटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति - | Water Pollution |
| 2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय - | Kanpur |
| 3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में इसी लगाया गया - | UPPCB |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C
25/11/24
25-11-24
25/11/24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 121046 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24



199
3342

दिनांक: 11-12-24
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,
(सापूरजी पालनजी एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड)
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या- एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्यूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम0पी0एन0/100 मि०ली०)
1	12.11.2024	7.80	48.0	44.0	79000
2	19.11.2024	7.89	45.0	88.0	94000
3	26.11.2024	7.80	42.0	48.0	120000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppeb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppeb.in
WebSite : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (In Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	14 Days (From 13.11.24 to 26.11.24)	14	1.5	1.25	5,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन की अवधि हेतु रू0 5,25,000/- (रू0 पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (सू0आर0एल0: <https://erp.eohiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकेटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के डाउनलोड में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - | Water Pollution |
| 2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - | Kanpur |
| 3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय



प्रभारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 2 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



प्रभारी
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/K

11/12/24

11/12/24

कार्यालय नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

पत्रांक:- D/2919 A/ M.C/A.A.(P)/24-25

दिनांक:- 13.01.2025

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम कानपुर

प्रेषित,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर।

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 985/2019, ओ०ए० 986/2019 एवं ओ०ए० 528/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र संख्या-2078/सा०-147/24, दिनांक 03.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 985/2019, ओ०ए० 986/2019 एवं ओ०ए० 528/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 में द्वारा मा० एन०जी०टी० को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसका अंश क्रमशः है :-

.....”11. Member Secretaries, CPCB and UPPCB are also directed to file their response affidavit disclosing the action taken by them on pollution control from tanneries compliance of STPs and management of chromium including sludge by each of the tannery and other sites identified by Learned Amicus Curiae in her interim report at least one week before the next date of hearing.

उपरोक्तानुसार मा० एन०जी०टी० द्वारा प्रस्तुत अंश में दिये गये निर्देशानुपालन में जाजमऊ परिक्षेत्र में नगर निगम के सी०सी०आर०पी० से अनुबंधित टैनरी इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रेषित क्रोम लिकर की मात्रा एवं कॉमन क्रोम रिकवरी प्लांट से जनित स्लज के निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को प्रेषित की गयी मात्रा का विवरण प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत अग्रिम तिथि दिनांक 22.01.2025 के पूर्व उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, ताकि मा० अधिकरण में अनुपालन आख्या ससमय दाखिल किया जाना सुनिश्चित हो सके।

तदनुक्रम में अवगत कराना है कि जाजमऊ परिक्षेत्र में नगर निगम के सी०सी०आर०पी० से अनुबंधित टैनरी इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रेषित क्रोम लिकर की मात्रा संबंधी सूचना (Annexure-A) एवं कॉमन क्रोम रिकवरी प्लांट से जनित स्लज के निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को प्रेषित की गयी मात्रा का विवरण (Annexure-B) के रूप में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 22.01.2025 के पूर्व मा० अधिकरण में उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या दाखिल/प्रस्तुत कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।



नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (सिविल) नगर निगम कानपुर।
2. पर्यावरण अभियंता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

नगर निगम कानपुर
जाजमऊ परिक्षेत्र में नगर निगम के कॉमन क्रोम रिकवरी प्लाण्ट (CCRP)
से अनुबंधित टैनरी इकाईयों द्वारा प्रेषित क्रोम लिकर का विवरण
वित्तीय वर्ष 2024-25

SL. No.	MONTH	TOTAL Nos. OF TANNERIES	LIQUOR RECEIVED FROM TANNERIES IN (KL)	REGENERATED CHROME LIQUOR IN (LT)
1	APRIL-2024	44	86.559	1644.62
2	MAY-2024	34	68.443	1368.86
3	JUNE-2024	24	48.265	868.77
4	JULY-2024	37	81.348	1708.31
5	AUGUST-2024	37	77.609	1552.18
6	SEPTEMBER-2024	34	69.290	1316.51
7	OCTOBER-2024	40	81.218	1461.92
8	NOVEMBER-2024	44	90.917	2000.17
9	DECEMBER-2024	49	102.502	2050.04
		Total	706.151	13971.39

div
SE

div
अधिशायी अभियंता (प्रोजेक्ट)
नगर निगम कानपुर

नगर निगम कानपुर

1. सी०सी०आर०पी० से निकलने वाली स्लज की मात्रा बहुत कम होती है अतः उपरोक्त स्लज को सी०ई०टी०पी० से निकलने वाले स्लज के साथ टी०एस०डी०एफ० (Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF)) को सुरक्षित निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है।
2. सी०ई०टी०पी० से निकला हुआ 1893.39 मै० टन स्लज को सुरक्षित निस्तारण हेतु टी०एस०डी०एफ० को भेजा गया है।

div
EE

div
अधिशायी अभियंता (प्रोजेक्ट)
नगर निगम कानपुर

3347 JAJMAU TANNERY EFFLUENT TREATMENT ASSOCIATION
20 MLD CETP COMPOUND, WAJIDPUR, JAJMAU, KANPUR-208010

Ref: JTETA/CETP/749/2025

Date: 13th January 2025

To,
The Executive Engineer
Kanpur Nagar Nigam Zone-2
Krishna Nagar, Kanpur Nagar-208002

Ref:
1. Wabag Letter-10P152-VATW-SITE-219 dated 07th January 2025.

Sub: Implementation of 20 MLD CETP up to Tertiary Treatment along with treated Sewage Dilution Facility for Jajmau Leather Cluster-Commencement of CCRU reg.

Dear Sir,

This is with reference to Wabag letter 10P152-VATW-SITE-219 dated 07th January 2025, wherein the contractor has informed that the CCRU unit is scheduled to commence the start up with Chrome Liquor from 10th January 2025.

Hence, we humbly request your good office to kindly provide a written confirmation so that the spent chrome liquor from tannery member units can be diverted to new CCRU unit established at 20 MLD CETP. This communication is essential to inform all tannery members to notify them that the newly constructed CCRU will be operational in place of the Kanpur Nagar Nigam's CCRP.

Your support in this regard will be highly appreciated to facilitate the successful commencement of the new CCRU unit.

For Jajmau Tannery Effluent Treatment Association



Authorized Signatory

Enclosed:

1. Wabag Letter-10P152-VATW-SITE-219 dated 07th January 2025.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. Director General, NMCG, New Delhi.
2. District Magistrate Cum Chairman, JTETA, Kanpur Nagar.
3. Executive Director (T) NMCG, New Delhi.
4. Director- Technical -(III) (NMCG), New Delhi.
5. APD, SMCG (State mission for Clean Ganga), Lucknow.
6. Municipal Commissioner, Kanpur Nagar Nigam.
7. Managing Director, UP Jal Nigam, Lucknow.
8. Regional Officer, UPPCB, Kanpur Nagar.
9. TL/PM TWIC, Chennai.
10. Guard File.





An ISO 9001 : 2000 Company

10P152-VATW-SITE-219

07th Jan 2025

Mr. Rizwan Nadri,
Secretary,
Jajmau Tannery effluent treatment association (JTETA)

Project: Implementation of 20 MLD Tannery Common Effluent Treatment Plant (CETP) Tertiary Treatment along with Treated Sewage Dilution Facility for Jajmau Leather Cluster, Uttar Pradesh.

Sub: Commissioning of Module-2 CCRU.

Dear sir,

This is to inform you that we are going to commence the start up of the CCRU unit of Module-2 with Chrome Liquor from 10th January 2025.

We have arranged one number tanker of capacity 3500 litres. We require 400 cubic metre of spent liquor for start up and we will be collecting the spent liquor chrome as per your direction from individual tanneries.

Hence, we request you to please provide us list of Tanneries with details in order to proceed with collection of spent chrome.

Thanking you,

Yours faithfully,


Mr. RK SURESH
VA TECH WABAG LTD

cc:

Mr. Nazir Hussain-Project Manager-CETP-TWIC
Mr. VivekRaj, NMCG, New Delhi
Mr. Sajid Hussain - Twic,

Sustainable solutions, for a better life



VA TECH WABAG LIMITED
11, Murray's Gate Road
Alwarpet
Chennai - 600 018, India

Tel : 91-44-42232323
Fax : 91-44-42232324
Email : wabag@bdwt.com
Web : www.wabagindia.com

Table 3.3 Extent of Contamination and Intervention Areas - AoC 3: Waste Storage Area

S. No.	Area Description	Number of Impacted Locations	Vertical Extent of Impact (mbgl)	Impacted Area (m ²)	Impacted Volume (m ³)	Remediation Area Name	Remarks
<i>Waste</i>							
1	Major Waste Storage Area	9	2	32,958	37,712	WSA: WD	Waste Mass - 62,225 MT
Total					37,712		
<i>Soil</i>							
1	Major Waste Storage Area	9	2-4	32,958	98,550	WSA: SoWSA	Soil Mass - 1,62,609 MT
2	Waris Chemicals	2	3.5	288	1,008	WSA: SoWC	Soil Mass - 1,700 MT
3	Trident Engineering	1	1	908	908	WSA: SoTE	Soil Mass - 1,500 MT
4a	PMGSY Road in front of Waris Chemicals	1	0.5	113	57	WSA: SoPMGSY WC	Soil Mass - 330 MT
4b	PMGSY Road in front of Blachsol Engineers	1	0.5	201	101	WSA: SoPMGSY BS	
4c	PMGSY Road in between Major Waste Storage Area and Storage Yard	1	1.5	28	42	WSA: SoPMGSY SY	
Total					1,00,666		
<i>Groundwater</i>							
1	At and around Major Waste Storage Area	8	50	NA	10 ⁶	WSA: Gw	No exceedance in MW-08, MW-12 and MW-13 Indicates that the plume is delineated along the eastern and western edge.

Notes:

NA - Not Applicable

Density of soil assumed at 1,650 kg/m³

MT - Metric tonnes

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-NGT-193/81-7-2022-44(रिट)/2016 टी0सी0-2
लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-985/2019 विद ओ0ए0 संख्या-986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी की दिनांक 13.05.2022 को बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट को कानपुर देहात स्थित 02 संयुक्त टी0एस0डी0एफ0, जोकि राज्य सरकार द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर एवं भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार से अनुदान प्राप्त कर स्थापित एवं संचालित हैं, के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा संयुक्त टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें निर्धारित करने हेतु समिति गठित की गयी है। उक्त समिति द्वारा निर्धारित दरों पर टी0एस0डी0एफ0 ऑपरेटर/आपरेटर्स द्वारा उठान एवं सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यादेश, मापन कार्यों का भौतिक सत्यापन, गुणवत्ता जांच एवं भुगतान की संस्तुति हेतु निम्नानुसार उप समिति का गठन किया जाता है :-

- 1-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात - अध्यक्ष
- 2-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात - सदस्य सचिव
- 3-अधिसासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, कानपुर देहात - सदस्य

उपसमिति द्वारा श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की अध्यक्षता में गठित समिति के तकनीकी निर्देशन में क्रोमियम वेस्ट के वैज्ञानिक रूप से निस्तारण की कार्यवाही सम्पादित करायी जाएगी एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति की नियमित रूप से रिपोर्ट जिलाधिकारी, कानपुर देहात के माध्यम से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा समिति को प्रेषित की जाएगी।

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
- 3- श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।

- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, कानपुर देहात।
- 6- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
- 7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

7

ADP



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 130693

Agreement annexed.

Bansal Co
 Uttar Pradesh Waste Management Project
 (A Division of Re Sustainability Ltd.)
 Plot No. 672 on NH-2 Sikandra Road, Vill. Kumbhi
 Tehsil-Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat (U.P.)

210 AGREEMENT

BETWEEN

M/S UTTAR PRADESH WASTE MANAGEMENT PROJECT (A DIVISION OF
RE SUSTAINABILITY LTD FORMERLY KNOWN AS RAMKY ENVIRO
ENGINEERS LIMITED) PLOT NO-672, VILLAGE-KUMBHI, TEHSIL-
AKBARPUR,

DISTRICT-KANPUR DEHAT (U.P)

AND

**ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE (ADMIN.),
KANPUR DEHAT**

FOR

THE PROJECT TITLED

"Scientific disposal of chromium waste dumped near Village
Khanchandpur, Rania, District- Kanpur Dehat, U.P., by excavation,
transportation to TSDF site, testing the sample, stabilization and
disposal through TSDF situated at Village-Kumbhi, Tehsil-
Akbarpur, District Kanpur Dehat" in compliance of the
recommendations of the Committee constituted by Chief Secretary,
Government of U.P. in order to ensure the compliance of Hon'ble
NGT order dated 23.11.2021 in O.A. No. 985/2019.

Uttar Pradesh Waste Management Project
(A Division of Re Sustainability Ltd)
Plot No 672 on NH-2 Sikandra Road, Vill. Kumbhi
Tehsil-Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat (U.P.)

IN WITNESS WHERE OF the parties here to have executed this Agreement through their authorized representatives.

FOR AND ON BEHALF OF
TSDF Operator

FOR AND ON BEHALF OF
ADM (Admin), Kanpur Dehat

Basant Kumar
Signature
Uttar Pradesh Waste Management Corporation
A Division of Re Sustainability Ltd
Plot No. E2/20 on NH-2 Sikandra Road, Vihari, Kanpur
District, Kanpur Dehat (U.P.)
Name Designation: (BASANT KUMAR)
Project Head.
Place: Kanpur Dehat
Date: 12/11/2022

- Witnesses:
1. PRASHANT MEHRA
Prashant Mehra
 2. Gourav Sachan
Gourav Sachan


Ashutosh Pandey
Signature
Name Designation: (केशव नाथ गुप्ता)
अधीक्षक (प्रशासन)
कानपुर देहात
Place:
Date:
Witnesses: *Pandey*
1. ASHUTOSH PANDEY
Regional Officer (I.)
U.P. Pollution Control, Board
Kanpur Dehat
2. *Prashant Mehra*
12/11/2022
Executive Officer
P.O. PWD, Kanpur Dehat



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 130790

MOU attached



AGREEMENT

213

213
3356

BETWEEN

M/S BHARAT OIL AND WASTE MANAGEMENT LTD.
PLOT NO-672, VILLAGE-KUMBHI, TEHSIL-AKBARPUR,

DISTRICT-KANPUR DEHAT (U.P)

AND

**ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE (ADMIN.),
KANPUR DEHAT**

FOR

THE PROJECT TITLED

"Scientific disposal of chromium waste dumped near Village Khanchandpur, Rania, District- Kanpur Dehat, U.P., by excavation, transportation to TSDF site, testing the sample, stabilization and disposal through TSDF situated at Village- Kumbhi, Tehsil- Akbarpur, District Kanpur Dehat" in compliance of the recommendations of the Committee constituted by Chief Secretary, Government of U.P. in order to ensure the compliance of Hon'ble NGT order dated 23.11.2021 in O.A. No. 985/2019.



*DASrani

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Forest and Climate Change Department, Govt. of U.P. as Arbitrator. The venue of arbitration shall be at Lucknow and language shall be English. Arbitration proceedings shall be conducted as per Arbitration & Conciliation Act, 1996. The decision of the Arbitrator shall be final and binding on the parties.

IN WITNESS WHERE OF the parties here to have executed this Agreement through their authorized representatives.

FOR AND ON BEHALF OF
TSDF Operator



Signature Asrani

Name Designation: Om Prakash Asrani

Place: Kanpur dehat

Date: 05/11/2022

Witnesses:

1. Prince Singh
(Plant Manager)
BOWNL Kanpur Dehat

2. Vijay Kumar Pandey
(Asst. Operation Mgr)
BOWNL Kanpur Dehat

FOR AND ON BEHALF OF
ADM (Admin), Kanpur Dehat

Signature: (फेरव नाथ गुप्ता)
असि जिलाधिकारी (प्रशासन)
कानपुर देहात

Name Designation:

Place:

Date:

Witnesses:

1. Pandey

ASHUTOSH PANDEY
Regional Officer (I.)
U.P. Pollution Control, Board
Kanpur Dehat

2. Ashutosh Pandey
Executive Engg.
P.D. P.W.D. Kanpur
Dehat

आदेश

खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प Hazardous Chromium Waste के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु दो टी0एस0डी0एफ0 ऑपरेटर्स को कमशः M/S Uttar Pradesh Waste Management Project, (Division of Ramky Enviro Engineers Ltd) कुम्भी, एवं Bharat Oil & Waste Management Ltd कुम्भी को इस कार्यालय द्वारा कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 को निर्गत किया गया है। उक्त टी0एस0डी0एफ0 ऑपरेटर्स के द्वारा डम्प कोमियम वेस्ट स्थल से उठान करके डम्प कोमियम वेस्ट का निस्तारण कुम्भी स्थित अपने निर्धारित स्थल पर किया जायेगा।

उक्त Hazardous Chromium Waste के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण एवं शुद्ध नाप-तौल हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 17.11.2022 एवं अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, वारा, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 01.12.2022 के द्वारा उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। उक्त ड्यूटियों में संशोधन कर उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी निम्नवत् लगायी जाती है:-

क्र0	स्थल का नाम	तैनात किये गये अधिकारी का नाम व पदनाम
1	2	3
1	डम्प स्थल, खानचन्दपुर रनियों	श्री संदेश कुमार, अवर अभियन्ता, UPPCB
2	घर्नकांटा रनियों	1. श्री आशुतोष पाण्डेय, एम0टी0एस0, UPPCB 2. श्री आशीष शुक्ला, एल0ए0, UPPCB
3	घर्नकांटा एवं निस्तारण स्थल उ0प्र0 वेस्ट मैनेजमेन्ट, कुम्भी	1. श्री आशीष विश्वकर्मा, अनुभवण सहायक, UPPCB 2. श्री मनोज पाल, अवर अभियन्ता, PWD
4	घर्नकांटा एवं निस्तारण स्थल, भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट, कुम्भी	1. श्री अनमोल राठौर, जे0आर0एस0, UPPCB 2. श्री श्रेष्ठ कुमार कुशावाहा, अवर अभियन्ता, PWD

नोट:- श्री महेश चन्द्र, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उपर्युक्त भण्डारण स्थल खानचन्दपुर रनियों तथा निस्तारण स्थलों स्थित कुम्भी का नियमित रूप से भ्रमण एवं निरीक्षण कर Hazardous Chromium Waste के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सतत परीक्षण करते रहेंगे तथा समय-समय पर अपने माले त्रुटियों का निराकरण कराते हुये उप समिति को यथाराम्य अवगत करायेगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(केशव नाथ गुप्ता)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
कानपुर देहात।

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:-

- 1 जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात को सादर अवलोकनायी प्रेषित।
- 2 अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, कानपुर देहात।
- 3 क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर देहात।

पत्र सं०-५५ / एस०टी०-प्रदूषण-को०वे०नि०-कार्यादेश-का०दे० / 2024 दिनांक 23 अगस्त 2024

कार्यादेश

M/s Uttar Pradesh Waste Management Project
(A Division of Re Sustainability Ltd
formerly known as Ramky Enviro Engineers Limited)
Plot no.-672, ग्राम-कुम्भी, तहसील-अकबरपुर,
कानपुर देहात।

विषय:- कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 के अन्तर्गत ग्राम खानचन्दपुर रनियाँ कानपुर देहात में आवंटित मात्रा के निस्तारण उपरान्त अवशेष रह गये डम्प कोमियम वेस्ट का निस्तारण एम०ओ०यू० की शर्तों के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि ग्राम खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु MOU पर हस्ताक्षर के उपरान्त आपको कार्यादेश सं०-1/ प्रदूषण-कार्यादेश/का०दे०-2022 दिनांक 15.11.2022 को जारी किया गया था जिसके क्रम में आप द्वारा कार्यादेश में आवंटित मात्रा 80006 मीट्रिक टन कोमियम वेस्ट का उठान कर निस्तारित किया जा चुका है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.05.2023 को डम्प स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उक्त स्थल पर पूर्व में लगभग 10000 मीट्रिक टन कोमियम वेस्ट अवशेष डम्प होना आंकलित किया गया था। तत्कम में अवशेष डम्प, निस्तारण हेतु महोदय के स्तर से अपर मुख्य सचिव, वन्य, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र०, शासन, लखनऊ को दिनांक 26.05.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। तत्कम में आप द्वारा 9500 मीट्रिक टन कोमियम वेस्ट को निस्तारित किया जा चुका है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से श्री जी०रामबाबू, वैज्ञानिक-ई एवं श्री मनोज कुमार, वैज्ञानिक-बी द्वारा दिनांक 16.04.2024 को डम्प स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त डम्प स्थल पर वर्तमान में लगभग 5000-6000 मीट्रिक टन कोमियम वेस्ट अवशेष डम्प होना आंकलित किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02.07.2024 में यह निर्णय लिया गया कि टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को प्रो-राटा बेसिस पर शेष बचे कोमियम वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं निस्तारण हेतु मात्राओं का आवंटन कर पूर्व में निष्पादित एम०ओ०यू० के माध्यम से शीघ्र सम्पादित की जाये एवं एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुरूप कार्यादेश निर्गत किया जाये जिसे जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपको 5700 एम०टी० (पांच हजार सात सौ मीट्रिक टन) तक अथवा वास्तविक भण्डारित कोमियम वेस्ट, जो भी न्यूनतम हो, मात्रा आवंटित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वर्षा के पूर्व आवंटित किये गये कोमियम वेस्ट को एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुरूप Pro-rata बेसिस पर पूर्व की भाँति उठान कर सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण करते हुये बिल भुगतान हेतु नियमानुसार प्रस्तुत करें। समस्त शर्तें पूर्व में निर्गत कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 एवं एम०ओ०यू० के अनुसार यथावत् लागू रहेगी।

(अमित कुमार)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कानपुर देहात।

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. डायरेक्ट एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
7. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, कानपुर देहात।



23-08-24
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कानपुर देहात।

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

पत्र सं०-५३ / एस०टी०-प्रदूषण-को०वे०नि०-कार्यादेश-का०दे० / 2024 दिनांक 43 अगस्त 2024

कार्यादेश

M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd.
Plot no.-672, ग्राम-कुम्भी, तहसील-अकबरपुर,
कानपुर देहात।

विषय:- कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 के अन्तर्गत ग्राम खानचन्दपुर रनियों कानपुर देहात में आवंटित मात्रा के निस्तारण उपरान्त अवशेष रह गये डम्प कोमियम वेस्ट का निस्तारण एम०ओ०यू० की शर्तों के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि ग्राम खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प कोमियम वेस्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु MOU पर हस्ताक्षर के उपरान्त आपको कार्यादेश सं०-1/ प्रदूषण-कार्यादेश/का०दे०-2022 दिनांक 15.11.2022 को जारी किया गया था जिसके क्रम में आप द्वारा कार्यादेश में आवंटित मात्रा 5000 मीट्रिक टन कोमियम वेस्ट का उठान कर निस्तारित किया जा चुका है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.05.2023 को डम्प स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उक्त स्थल पर पूर्व में लगभग 10000 मीट्रिक टन कोमियम वेस्ट अवशेष डम्प होना आंकलित किया गया था। तत्क्रम में अवशेष डम्प, निस्तारण हेतु महोदय के स्तर से अपर मुख्य सचिव, वन्य, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र०, शासन, लखनऊ को दिनांक 26.05.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में आप द्वारा 500 मीट्रिक टन कोमियम वेस्ट को निस्तारित किया जा चुका है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से श्री जी०रामबाबू, वैज्ञानिक-ई एवं श्री मनोज कुमार, वैज्ञानिक-बी द्वारा दिनांक 16.04.2024 को डम्प स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त डम्प स्थल पर वर्तमान में लगभग 5000-6000 मीट्रिक टन कोमियम वेस्ट अवशेष डम्प होना आंकलित किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02.07.2024 में यह निर्णय लिया गया कि टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को प्रो-राटा बेसिस पर शेष बचे कोमियम वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं निस्तारण हेतु मात्राओं का आवंटन कर पूर्व में निष्पादित एम०ओ०यू० के माध्यम से शीघ्र सम्पादित की जाये एवं एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुरूप कार्यादेश निर्गत किया जाये जिसे जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपको 300 एम०टी० (तीन सौ मीट्रिक टन) तक अथवा वास्तविक भण्डारित कोमियम वेस्ट, जो भी न्यूनतम हो, मात्रा आवंटित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वर्षा के पूर्व आवंटित किये गये कोमियम वेस्ट को एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुरूप Pro-rata बेसिस पर पूर्व की भांति उठान कर सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण करते हुये दिल भुगतान हेतु नियमानुसार प्रस्तुत करें। समस्त शर्तें पूर्व में निर्गत कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 एवं एम०ओ०यू० के अनुसार यथावत् लागू रहेगी।

संख्या व दिनांक यथोपरि।
प्रतिलिपि:-
1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. डायरेक्ट एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
7. अधिशाही अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, कानपुर देहात।

(अमित कुमार)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कानपुर देहात।23-08-2024
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज- 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक 601224 / R-220 / 2024

दिनांक 12/11/2024

सेवा में,

मेसर्स आर0पी0 इण्डस्ट्रीज,
गाटा संख्या 620, ग्राम-गुधरौली, तहसील-बिन्दकी,
जनपद-फतेहपुर।

विषय:- "हार्वैस्टिंग सिस्टम है, फिर भी भूमिगत जल हो गया प्रदूषित, पानी पीकर हो रहे बीमार" विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित न्यूज के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि "हार्वैस्टिंग सिस्टम है, फिर भी भूमिगत जल हो गया प्रदूषित, पानी पीकर हो रहे बीमार" विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 05.12.2024 को न्यूज प्रकाशित हुई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि खुले में राख निस्तारित किये जाने के कारण पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत आपको निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

- 1- उद्योग से जनित राख का निस्तारण रोड के किनारे कदापि न किया जाये।
- 2- उद्योग से जनित राख का निस्तारण समुचित, सुरक्षित एवं वैज्ञानिक ढंग से किया जाये।
- 3- राख का निस्तारण किये जाने के पश्चात् राख के उपर मिट्टी की एक परत डाली जाये।
- 4- उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का नियमित संचालन एवं उचित रख-रखाव किया जाये, जिससे कि गैसीय उत्सर्जन में वायु प्रदूषण अवयवों की मात्रा सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे।
- 5- उद्योग की चिमनी से उत्सर्जित हो रहे फ्लू गैस के नमूने का एकत्रण एन0ए0बी0एल0 एक्वीडेटेड प्रयोगशाला से कराकर 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाये।


उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं का तत्काल अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय एवं जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सूचित करना सुनिश्चित करें। कृपया ध्यान दें कि उक्त का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय के सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

भवदीय,


(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, ई.सी., प्रयागराज- 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक G01220 / S-627 / 2024

दिनांक 12/12/2024

सेवा में,

मेसर्स श्री श्यामानन्द इण्डस्ट्रीज,
प्लॉट संख्या 626, ग्राम-गुधरीली, आँग,
तहसील-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर।

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण
पंजीकृत डाक द्वारा

विषय:- "हार्वेस्टिंग सिस्टम है, फिर भी भूमिगत जल हो गया प्रदूषित, पानी पीकर हो रहे बीमार" विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित न्यूज के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि "हार्वेस्टिंग सिस्टम है, फिर भी भूमिगत जल हो गया प्रदूषित, पानी पीकर हो रहे बीमार" विषयक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 05.12.2024 को न्यूज प्रकाशित हुई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि खुले में राख निस्तारित किये जाने के कारण पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत आपको निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

- 1- उद्योग से जनित राख का निस्तारण रोड के किनारे कदापि न किया जाये।
- 2- उद्योग से जनित राख का निस्तारण समुचित, सुरक्षित एवं वैज्ञानिक ढंग से किया जाये।
- 3- राख का निस्तारण किये जाने के पश्चात् राख के उपर मिट्टी की एक परत डाली जाये।
- 4- उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का नियमित संचालन एवं उचित रख-रखाव किया जाये, जिससे कि गैसीय उत्सर्जन में वायु प्रदूषण अवयवों की मात्रा सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे।
- 5- उद्योग की चिमनी से उत्सर्जित हो रहे फ्लू गैस के नमूने का एकत्रण एन0ए0बी0एल0 एकीडेटेड प्रयोगशाला से कराकर 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जाये।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं का तत्काल अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय एवं जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सूचित करना सुनिश्चित करें। कृपया ध्यान दें कि उक्त का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय के सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।


भवदीय


(डॉ० एस०सी० शुक्ला)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

डा० के०सी० खुल्बे

हेड, रिसर्च प्लानिंग एण्ड बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन,
सीएसआईआर-भारतीय विष अनुसंधान संस्थान,
लखनऊ।

दिनांक

Date

विषय- ग्राम-गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प कोमियम वेस्ट की मात्रा एवं सांद्रता के आंकलन हेतु प्रोजेक्ट के कियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय में दिनांक 09.10.2024 को अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सीएसआईआर-आईआईटीआर के अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ग्राम-गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प कोमियम वेस्ट की मात्रा एवं सांद्रता के आंकलन हेतु CSIR-IITR, Lucknow के पत्र दिनांक 13.05.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार प्रोजेक्ट की कुल लागत धनराशि रूपये 47,20,000/- है। उक्त प्रोजेक्ट के सम्बंध में UPPCB and CSIR-IITR, Lucknow द्वारा MoU की हस्ताक्षरित किया गया है।

उक्त बैठक दिनांक 09.10.2024 में ग्राम-गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प कोमियम वेस्ट की मात्रा एवं सांद्रता के आंकलन हेतु प्रोजेक्ट के कियान्वयन के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की गयी तथा बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. ग्राम-गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प कोमियम वेस्ट की मात्रा एवं सांद्रता के आंकलन हेतु प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्टडी प्रोजेक्ट की कुल लागत की 70 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान एम०ओ०यू० के अनुसार फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
3. ग्राम-गुधरौली, जनपद-फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र का भी सर्वेक्षण करके कोमियम वेस्ट डम्पिंग के सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त बैठक दिनांक 09.10.2024 में स्टडी प्रोजेक्ट के सम्बंध में लिये गये उपरोक्त निर्णयों के अनुरूप यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा अनुपालन आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि-

1. निदेशक, सीएसआईआर-भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि प्रोजेक्ट हेतु उपरोक्तानुसार धनराशि अवमुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सीएसआईआर-आई०आई०टी०आर० के सम्बंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा अनुपालनात्मक रिपोर्ट ससमय बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

T.C-12 V Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

2023

221

Annexure- 3364

221

Draft Action Plan for Restoration of Environment and Public Health at Rania, Kanpur Dehat, UP



**Uttar Pradesh Pollution
Control Board, Lucknow**



Table of Content

1. Introduction	1
2. Site Description	3
3. Issues and Strategy	3
i) Remediation of Chromium Waste and Contaminated soil in area:	4
ii) Remediation of Contaminated Ground Water	4
iii) Supply of safe drinking water and clean water for domestic purposes	4
iv) Restoration of Public Health:	4
v) Survey of other hazardous waste site:	4
4. Cost Estimates	5
5. Financial Arrangement:	6
6. Monitoring & Evaluation	6
7. Action Points with Timeline	8
(A)General	10
(B)Ground water remediation	10
(C)Remediation of Contaminated Soil	Error! Bookmark not defined.
(D)Clean Water Supply in Affected Area	Error! Bookmark not defined.
(F)Health Issues in Affected Area	Error! Bookmark not defined.
Annexure	11

1. Introduction

Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 23.09.2022 in O.A.985/2019 with O.A. No. 986/2019) directed UPPCB and CPCB to immediately find out suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano - Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium as being done at other places for removal of arsenic/fluoride. The relevant portion of the Hon'ble NGT order is as follows:

- i. Contaminated sites need to be remediated in terms of removing of the waste and transporting to TSDF, followed by due stabilization/immobilization*
- ii. Contaminated chrome bearing groundwater needs to be remediated by appropriate methodology and plan executed in a time bound manner. UPPCB and CPCB may immediately find out suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano - Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium as being done at other places for removal of arsenic/fluoride. This may be done in next three months and the cost of such demonstration/model project may be borne through EC funds of the UPPCB.*

Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 04.03.2024 in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 with O.A. No. 528/2023, the relevant portion of the order is as follows:

- i. Survey should be conducted by the District Magistrate, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Fatehpur to find out the other areas where all kinds of hazardous waste have been dumped and which are creating health hazard and contaminating the ground water.*
- ii. UPPCB to place on record a time bound action plan to remediate the situation at all the places which are under consideration before the Tribunal in these three matters.*
- iii. UPPCB will also carry out the ground water profiling of the areas under consideration.*
- iv. UPPCB is directed to disclose full particulars of the manner in which the said waste has been treated and disposed of.*

Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 27.11.2024 in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 with O.A. No. 528/2023, the relevant portion of the order is as follows:

Learned Amicus Curie had made the following recommendations: -

- a. *Urgent Action is required for safeguarding life and health of people in contaminated areas: Immediate medical camps for affected populations and blood/ serum sampling by CSIR- IITR, Lucknow.*
- b. *Inquiry on non-operation of STPs in Kanpur Nagar due and immediate resolution of the same. In case, remediation will take long time then some temporary action plan must be pursued to stop pollution of Gangaji and Pandu River (keeping in mind the Maha Kumbh also).*
- c. *Temporary remediation of sewage where the drains are yet to be tapped/ diverted to STPs.*
- d. *Mapping and identification of heavy metal (chromium and ash) contaminated sites at Kanpur Dehat, Kanpur Nagar and Fatehpur. The people of affected areas must be provided with adequate water for life sustenance (which must include other chore than just drinking water).*
- e. *Sampling of soil, groundwater and surface water of contaminated areas in the 3 districts and formulation of a time bound Action Plan.*
- f. *River water monitoring: Water Quality Monitoring Index must include all biological, chemical, physical parameter for assessment of river health like FC, TC, pH, turbidity, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), total alkalinity (TA), total hardness (TH) and calcium hardness (CaH), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), Pathogens, algae, chlorophyl count, bacteria, phytoplankton, dissolved oxygen (D.O.), sulphate (as SO₄ 2-), nitrate (as NO₃) and chloride (Cl-), fluoride, arsenic levels. Some heavy metals like Iron, Zinc, Cadmium, Mercury, Nickel, lead and Chromium. temperature, turbidity, light transmission, sechi disk transmission etc. Similarly, GWQI (i.e. Ground water quality Index) with detailed parameters must be undertaken.*
- g. *No further construction be allowed on areas/ sites that have chromium deposition under the ground."*

2. Site Description

The subject site is located north of National Highway-2 (NH-2) near Khan Chandpur village which is about 3 km west of the town of Rania, Kanpur Dehat, UP. The approach road to the subject site is a Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) Road leading north to villages Gharampur, Bilwahaar, Shivnathpurva and Matiamau. Sporadic waste dumps were also observed in two villages around the subject site, namely Shivnathpurva and Gharampur. Shivnathpurva is located about 300 meters west of the PMGSY road. Gharampur is located about 2,300 meters from the intersection of the PMGSY road with NH-2. The quality of ground water was also impacted due to leaching of hexavalent chromium from the waste dump sites, the contaminated plume has spread up to Khanchandpur village towards south directions from the subject site up to distance of 1.5 km (**Location map enclosed as Annexure-1**).

3. Issues and Strategy

i) Remediation of Chromium Waste and Contaminated soil in area:

In Khanchandpur village and nearby, Rania, Kanpur Dehat, the soil and ground water has been contaminated due to illegal dumping of chromium containing waste by the BCS manufacturing industries.

Hazardous Chromium waste illegally dumped at village Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh is being disposed through Common Treatment, Storage & Disposal facility (hereinafter referred to as "TSDF") situated at approximately 18 Km away at Kumbhi, Kanpur Dehat.

After removal of Chromium waste to TSDF, the contaminated soil will be analyzed and thereafter on the basis of results, contaminated soil will be stabilized through Bio-culture or Chemical treatment in-situ.

ii) Remediation of Contaminated Ground Water:

The contaminated ground water needs to be remediated so that the contamination is eliminated. Remediation of Ground water will be based on Hydraulic containment with Pump and Treat system for which two types of well namely Source recovery wells and Hydraulic containment wells will be installed. Through source recovery wells, water will be pumped out, treated through ETP and treated water reused for irrigation purposes. In hydraulic containment wells, suitable bio-culture will be pumped inside the well and treatment will be done through bio-culture.

iii) Sampling analysis of soil, groundwater and surface water of contaminated**Area:**

Indiscriminate dumping of chrome sludge has resulted contamination of soil at various locations around the site and the quality of groundwater was also impacted due to leaching of hexavalent chromium from the waste dump sites, the contaminated plume has spread upto Khanchandpur village towards south directions from the site upto 1.5 km.

The sub-committee in its meeting held 10.06.22 decided that sampling and analysis of hazardous waste, contaminated soil, groundwater shall be carried out by CPCB & UPPCB. Accordingly, Samples of ground water were collected around the dump site, which includes villages namely Gharampur, Shivnathpurva and Khanchandpur. Also, soil and waste samples were collected from the excavated site. The analysis results of ground water samples and soil samples collected during various visits are annexed as **Annexure-2, 3**.

During various visits, Groundwater samples were carried out from 15 locations of the surrounding villages namely, Gharampur, Shivnathpurva and Khanchandpur.

The corresponding groundwater sampling location map is given at **Annexure-4**. Out of 15 samples, the concentration of Cr(VI) exceeded w.r.t., BIS-DW standard in 09 samples in the range of 0.17 mg/l to 11.59 mg/l. Year-wise Cr(VI)concentration trend is in groundwater is depicted at **Annexure-5**.

15 soil samples were collected from the dump site to a depth of 1 ft. Geo-coordinates of the sampling locations along with analysis results reveal the contamination in the range of 227-1863 mg/kg, which exceeded concentration of chromium(total) w.r.t., soil screening level for industrial land use (i.e. 87 mg/kg).

Some quantity of hazardous waste (Approx. 5000-6000 MT) is still lying which includes vehicle tyre washing unit constructed at the excavated site.

iv) Supply of safe drinking water and clean water for domestic purposes:

The supply of safe water to the resident of village Khanchandpur, Rania through Piped Water Supply System connected to over head tanks has been started since 15 July 2020 and ADM (E), Kanpur Dehat vide its letter ref.884/Gen./R-130/2024 dated 05.07.2024 directed the Executive Engineer, Jal Nigam (Rural), Kanpur Dehat and Executive Officer, Nagar Panchayat, Raniya, Kanpur Dehat to ensure the supply of clean drinking water via tanker to the resident of the above concerned area.

v) Restoration of Public Health:

vi) Survey of other hazardous waste site:

In the compliance of Hon'ble NGT order dated 04.03.2024 the committee has constituted by District Magistrate of Kanpur Dehat vides its letter reference no. 556/Gen./R-130/2024 dated 30.03.2024. The committee had visited the following areas in the district regarding dumping of all kind of Hazardous Wastes:-

1. Industrial estate site-1 & site-2, Rania, Akbarpur, Kanpur Dehat
2. UPSIDA (I) area, Growth Centre and Jainpur, Kanpur Dehat
3. Villages- Gharhampur, Bilwahaar, Bibain, Shivnathpurwa and Matiamau, Kanpur Dehat
4. Village- Gaj Ka Purwa, Kumbhi and nearby area around the two TSDFs in Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat.

At the time of inspection of Industrial Estate-1, Rania, Kanpur Dehat, plastic waste was found dumped in a open plot. For the removal of plastic waste notice issued to the plastic goods manufacturer units. Industrial estate, rania, Kanpur Dehat and near chromium dump site, in aside of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) road rise husk ash found dumped, for which notices have been issued to the industries using rise husk as fuel, to not dumped in road side/ open area.

4. Cost Estimates

Cost for Complete remediation work:

i) Cost Estimates for Stabilization and Solidification at HWMF-Waste

The disposal of hazardous waste will include Lifting, Transportation, Testing, Stabilization, & Disposal through Secured landfill (SLF). The Cr (VI) is needed to be reduced to Cr (III) by adding sulphuric acid and then FeSO₄/ Sodium Meta bi-Sulphite or any other reducing chemical followed by mixing of lime powder/cement or any other stabilizing material. Treated Hazardous waste has to pass leachability test (TCLP) as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 before finally disposing in SLF. The quantity of material to be excavated and treated in the landfill comprises of chromium containing waste estimated to be 51,520 m³ (85008 MT) @ Rs. 11583 per MT of Chromium Waste including all taxes and Institute Over Heads (IOH).

ii) Estimated Capital Expenses (CAPEX)– Groundwater treatment (As per the DPR approved by CPCB)

In total, the cost of installation of the treatment system is estimated to be INR 10 Crores. The components of this cost are presented in Table-3 below. The CAPEX

cost presented below is an estimate and does not consider inflation or other changes in the conditions.

Table-1

Cost Estimates	Price (INR)/Unit	Estimated Cost (INR)
Installation of abstraction wells (14)	Lump sum	65,03,700
Groundwater Treatment System	Lump sum	6,50,00,000
Laboratory	Lump sum	65,00,000
Health & Safety Measures	Lump sum	50,00,000
Anticipated Capital Cost	Lump sum	8, 30,03,700
Cost for Project Management	10% of the Capital Cost	83,00,370
Permitting, Engineering and other costs	5% of the Capital Cost	41,50,185
Total for P & T		9,54,54,255
Installation of injection wells	Lump sum	5,22,96,050
Cost for Project Management	10% of the Capital Cost	52,29,605
Permitting, Engineering and other costs	5% of the Capital Cost	26,10,303
Total		9,54,54,255

5. Financial Arrangement:

- a) U.P. pollution control board has imposed environmental compensation (EC) of Rs. 280.01 Cr upon 08 industries which are responsible for dumping of illegal Chromium waste. The industries have filed appeal against them which is being heard by Hon'ble NGT. The amount of EC finalized by Hon'ble NGT will be recovered from industry and shall be transferred to ESCROW account operated by DM. Kanpur Dehat.

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 15.11.2019 in O.A. 985/2019 & O.A. 986/2019, till the recovery of above Environmental Compensation amount, the State Government will deposit requisite amount into ESCROW account. The amount for remediation of the affected area shall be spent from this account only.

- b) The department of Infrastructure and Industrial Development has been directed by the Chief Secretary to make the budgetary arrangement for above.

6. Monitoring & Evaluation

- a) **Monitoring Indicator:** The ground water quality and safe disposal of hazardous waste
- b) **Mechanism for monitoring:**
- The Chief Secretary, Govt. of UP has directed to constitute a sub-committee comprising of Additional District Magistrate (Admin.) Kanpur Dehat, Executive

Officer, Public Work Department, Kanpur Dehat and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Dehat for monitoring at site/sites during execution of project work for lifting and safe disposal of dumped Chromium Waste through existing TSDFs in Kanpur Dehat and submit its physical and financial progress report to Committee from time to time. Accordingly a Sub-committee has been constituted vide letter no. 193/81-7-2022-44(writ)/2016 T.C-2 dated 26-05-2022.

- The Sub-committee will monitor all the restoration/remediation work periodically and will report to the Committee.

c) Summary of time to time Monitoring by Committee & Sub-committee:-

- Safe and Scientific disposal of chromium containing hazardous waste illegally dumped at Gram Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat is allotted to two nos. of TSDF namely M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd and M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat based on "no profit no loss policy".
- For continuous monitoring of safe and scientific disposal of chromium containing hazardous waste, Chairman, Sub-committee [ADM (E), Kanpur Dehat, deputed staff of UP Pollution Control Board, Kanpur Dehat and Public Works Department, Kanpur Dehat vide order dated 09.12.2022.
- In order to ensure qualitative disposal and monitoring of chromium containing hazardous waste, U.P. Pollution Control Board has developed a web portal www.hwms.co.in. Waste lifting from GPS enabled vehicles, weight and stabilization details are regularly uploaded on web portal which is monitored by officers of HQ, UPPCB.
- Members of sub-committee has visited TSDF M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat for inspection of scientific disposal on dated 25.01.2023 and report has submitted to chairman sub-committee.
- On dated 13.02.2023 and 14.02.2023 CPCB, New Delhi (Committee Member) and Sub-committee visited the Chromium dump site at Khanchandpur and both of the TSDFs to verify that the lifting and disposal of Chromium waste have being as per the Standard Operating Procedure (SOP).
- On dated 21.03.2023 Oversight Committee, NGT, New Delhi visited TSDFs to verify that the lifting and disposal of Chromium waste in safe and scientific way.
- On dated 24.04.2023, Sub-committee visited the both of TSDF namely M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd and M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat to verify the remediation work.
- Distirct Magistrate, Kanpur Dehat has also monitored on dated 16.05.2023 safe and scientific disposal of chromium containing hazardous waste.

- Member of committee, Central Pollution Control Board and sub-committee has visited on dated 19.05.2023 chromium dump site and both TSDFs.
- Oversight Committee has visited on dated 08.11.2023 to monitor the Chromium dump site at Khanchandpur and both of the TSDFs.

7. Project Duration:

The project duration for removal of hazardous waste and disposal into TSDF is proposed to be 6 months from the start of work at site and for remediation of ground water, it is proposed for 5years, but it may be extended for further 10 years on the basis of improvement in the quality of ground water as well as the restoration of environment in affected area.


Action Points with Timeline

S.No.	Action Points	Milestones	Timeline*	Concerned Department
(A)	Ground Water Remediation			
(a)	Groundwater Collection			Agency appointed by State Govt.
I		Mobilization	5 Days	
II		Installation of abstraction Wells	45 Days	
III		Installation of conveyance Piping	15 Days	
(b)	Installation Of Water Treatment System			Agency appointed by State Govt.
I		Construction of Groundwater Treatment System (GTS) comprising of collection tank, Reaction tank, Clarifier, Clarified water tank, Pressure Sand Filter (PSF), Granulated Activated Carbon (GAC) filter, treated water collection tank	90 Days	

II		Hydraulic Testing and Commissioning of treatment unit	05 Days	
III		Operation of treatment unit	As required till complete remediation of groundwater	
IV		Establishment of onsite laboratory with requisite equipment for analysis of ground water and treated water	45 Days	
V		Collection of groundwater treatment units outlet samples	Minimum 5 Samples in a day	
VI		Testing of ground water samples	40 Samples in a month	
VII		Installation of online monitoring system at outlet of water treatment system	10 Days before operation of water treatment system	
VIII		Installation of PTZ cameras at strategic location around the affected area and water treatment system	10 Days before operation of water treatment system	
IX		Treated Water reuse in Irrigation, Dust Suppression, Construction activity etc.	Regular Activity	
(B)	Remediation of Contaminated Soils			
(a)	Excavation of contaminated soils			Agency appointed by State Govt.
I		Mobilization	07 days	

II		Preparation of land for staging area	30 days	
III		Excess, excavation	15 days	
iv		Validation sampling	15 days	
v		Treatment	30 days	
vi		Storage area	15 days	
(b)	backfilling, restoration and demobilizing			Agency appointed by State Govt.
		backfilling of areas identified for soil remediation	60 days	
(D)	Clean Water Supply in affected area			
(a)	Pipe water supply in Village-Khanchandpur			
		Over head tanks	Regular Activity	
		Piped connection to villagers	Regular Activity	
(b)	Additional Supply through ULB, Rania			
		Tankers supply for additional water demand	Regular Activity	

Annexure- 1




ERM
 Building 10, 4th Floor
 Tower A, DLF Cyber City
 Phase-III, Gurgaon - 122 002, India
 Tel: 91-124-4170300
 Fax: 91-124-4170301

	Name	Date	Title
Drawn:	SK	12/2017	Report
Checked:	VY	12/2017	
Approved:	JP	12/2017	Client

Primary Study Area Location Map
 Detailed Project Report
 Contaminated Sites, Raunia, Kanpur Dehat, India
 Central Pollution Control Board

Project No:	19729/0244871
Scale:	Not to Scale
	Annex A1-1
Size:	DIN A4

Annexure-1





Water Pollution by T...

1 file · 29.6 MB · Sent 26 seconds ago

<https://we.tl/t-g8C2JMcDc>
copy link
view



Expiration date

January 24, 2025

Password

[Set password](#)

Message

Sir/Ma'am,
Please find the attached Affidavit on behalf of U.P. Pollution... [more](#)

Sent to 3 people

- advpriyankaswami@gmail.c...
 Not yet downloaded
- adv_rajkumar@yahoo.com
 Not yet downloaded
- gigicgeorge.adv42@yahoo.in
 Not yet downloaded

Total downloads

1

1 file

Water Pollution Affidc

30 MB · pdf